उत्तर प्रदेश
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

श्री योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

राज्य आपदा प्रबंधन : दिशा–निर्देश
सूखा प्रबन्धन
वर्ष–2022

राज्य आपदा प्रबंधन : दिशा–निर्देश

सूखा प्रबन्धन

वर्ष–2022

लेफ़्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप साही, एवीएसएम
Lieutenant General Ravindra Pratap Sahi, AVSM
उपाध्यक्ष
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण

कार्यालय : बी–2 ब्लॉक भूतल,
पिकप भवन, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

संदेश

सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव वर्षों से कृषि क्षेत्र पर पड़ता रहा है। सूखा का हानिकारक प्रभाव जहाँ एक तरफ कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय की गिरावट के माध्यम से परिलक्षित होता है वहीं दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति में कमी, चारे की समस्या, कुपोषण, पशुओं की बिक्री में कमी, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में संकट एवं भुखमरी आदि इसके अन्य परिणाम है।

उत्तर प्रदेश के विंध्य एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्र पारंपरिक तौर पर सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर वर्ष 2002–03 से वर्ष 2017–18 तक 6–8 बार सूखा पड़ा है। लगातार सूखा पड़ने से किसानों के लिए स्थिति बहुत गम्भीर हो सकती है। सूखा को पूरी तरह रोक पाना प्रायः असंभव होता है परंतु कुशल प्रबंधन से सूखे से होने वाली जन–धन की हानि को कम अवश्य किया जा सकता है।

सूखा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा **"राज्य आपदा प्रबंधन दिशा–निर्देश (सूखा प्रबंधन)–2022"** पुस्तिका तैयार की गई है। यह पुस्तिका सूखा मैनुअल 2016 (संशोधन 2020) के आलोक में तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों/हितधारकों के समन्वय हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का समावेश किया गया है।

मै, प्राधिकरण द्वारा **"राज्य आपदा प्रबंधन दिशा–निर्देश (सूखा प्रबंधन)–2022"** तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न हितधारकों के आपसी समन्वय से सूखा प्रबंधन में यह पुस्तिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

रविन्द्र प्रताप साही

(ले. जनरल रविन्द्र प्रताप साही)

ACKNOWLEDGEMENT

निर्देशन

श्री महेन्द्र सिंह (आई0ए0एस0),
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

तकनीकी सहयोग

डॉ0 कनीज़ फातिमा,
परियोजना निदेशक (सूखा प्रबंधन),
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

श्री प्रवीन किशोर,
प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (ट्रेनिंग),
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

सहयोग

श्री बद्रूद्दीन खॉन, वरिष्ठ सहायक
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

श्री शिव प्रताप त्रिवेदी, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

श्रीमती रश्मि यादव, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अनुक्रमणिका

भाग	शीर्षक	पृष्ठ सं0
भाग–1	सूखा प्रबंधन	1–6
भाग–2	सूखा प्रबन्धन हेतु गठित संगठन व उनके कृत्य	7–11
भाग–3	सूचना का प्रवाह	12–13
भाग–4	सूखा निर्धारण के मानक	14–24
भाग–5	सूखा संकेतांकों का विश्लेषण	25–30
भाग–6	सूखा निर्धारण की प्रक्रिया	31–33
भाग–7	मानक संचालन की प्रक्रिया	34–48
भाग–8	पुनरीक्षण एवं सूखा न्यूनीकरण हेतु उपाय	49–51
भाग–9	सूखा प्रशमन	52–59
भाग–10	राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु मानक दरें (सूखा प्रबन्धन सम्बन्धी)	60–63
परिशिष्ट	1. अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की चेकलिस्ट 2. वर्षा में अन्तराल (02 अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना) के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई की चेकलिस्ट 3. मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की चेकलिस्ट 4. सूखा की घोषणा के पश्चात् की जानेवाली कार्रवाई की चेकलिस्ट 5. जनपदवार केनाल नेटवर्क एवं बेसिन मानचित्र 6. सूखा की स्थति से निपटने हेतु क्या करें और क्या न करें 7. सूखा मानीटरिंग सेन्टर एवं सूखा मानीटरिंग कमेटी का गठन	64–73
अन्य	क्षमता विकास कार्यक्रम 2022–23	74

भाग–1

सूखा प्रबंधन

- सूखा की परिभाषा
- उत्तर प्रदेश में सूखा

भाग–1: सूखा प्रबन्धन

प्रस्तावना

सूखा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भिन्न है। यह एक अत्यन्त जटिल आपदा है, इसके संचित प्रभावों का असर दीर्घकालिक होता है। सूखे की स्थिति किसी भी जलवायु में उत्पन्न हो सकती है। इसकी कालावधि, तीव्रता तथा क्षेत्र विस्तार भी अलग–अलग हो सकते हैं। प्रारम्भिक दौर में इसकी शुरूआत धीमी गति से होती है किन्तु इसके अंत का निर्धारण/व्यापकता का आंकलन करना अत्यन्त कठिन है।

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रदेश का एक बड़ा भू–भाग सूखा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बुंदेलखंड, विन्ध्य क्षेत्र एवं जनपद आगरा, मथुरा सूखा की समस्या से समय–समय पर प्रभावित होते रहते है तथा एक या दो वर्ष के अंतराल में अल्प वर्षा या अनियमित वर्षा के कारण राज्य को सूखा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अन्य आपदाओं की तुलना में सूखा का दुष्प्रभाव लम्बे समय तक परिलक्षित होता है जिसके कारण आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्तरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी, वन संपदा का ह्रास एवं कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुट पालन (पौल्ट्री) एवं मत्स्य संसाधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव एवं रोजगार की कमी आदि आर्थिक कुप्रभाव हैं, जबकि भू–गर्भ जलस्तर में कमी, जलाशयों, झीलों, नहरों आदि का सूखना, जैविक विविधतायें आदि पर्यावरणीय कुप्रभाव हैं। सामान्य व्यक्ति की आय में गिरावट के फलस्वरूप बच्चों की शिक्षा, वैवाहिक कार्यक्रम आदि में बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उन्हें भूमि, पशुधन आदि बेचने पड़ते हैं। इसके अलावा कुपोषण, भुखमरी, सामाजिक गरिमा में गिरावट तथा संसाधनों की कमी के कारण सामाजिक संघर्ष आदि भी सूखा के सामाजिक कुप्रभाव हैं।

सूखा की परिभाषा:

सूखे की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा नही है जिसमें इसकी सम्पूर्ण जटिलताओं को समाहित किया जा सके।

सूखा एक ऐसी विषम जलवायु की स्थिति है, जो सामान्य से कम वर्षा, असामान्य वर्षा वितरण, जल की अधिक आवश्यकता अथवा तीनों कारणों से भूमि में नमी की कमी होने से उत्पन्न होती है। भारत सरकार द्वारा जारी सूखा प्रबंधन मैनुअल में सूखा को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:–

(1) मौसम संबंधी सूखा (Meteorological Drought)

(2) जल संबंधी सूखा (Hydrological Drought)

(3) कृषि संबंधी सूखा (Agricultural Drought)

मौसम के दृष्टिकोण से क्षेत्र–विशेष में वर्षा की सतत् कमी सूखा की स्थिति उत्पन्न करती है। सूखा की अन्य परिभाषाएं सामान्य से कम वर्षा का जल संसाधनों, कृषि तथा सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है।

जल संबंधी सूखा में भूगर्भ जल के स्तर में कमी एवं जलाशयों, झीलों, नदियों तथा अन्य पारम्परिक सतही जल स्रोतों के स्तर में कमी के कारण पशु एवं मानव की जल संबंधी आवश्यकताओं में गंभीर कमी हो जाती है।

कृषि संबंधी सूखा वह स्थिति है जिसमें अपर्याप्त वर्षा एवं मृदा–नमी की कमी के कारण फसल के विकास की अवधि में उसकी बढ़ोत्तरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे फसलें सूख जाती हैं अथवा उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है तथा फसल उत्पादन नगण्य हो जाता है जो कृषक की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।

उत्तर प्रदेश में सूखाः

प्रदेश के लगभग 18–20 जनपद सूखे के दृष्टिगत अत्यन्त संवेदनशील है जिससे जनमानस को अत्यधिक हानि का सामना करना पडता है। विगत वर्षों में उ0प्र0 के जनपद झांसी, ललितपुर, महोबा में आठ बार, जनपद हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन में सात बार, जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर में 6 बार, जनपद आगरा, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर, कौशाम्बी, इटावा, कानपुर देहात, मथुरा, और प्रयागराज में 5 बार सूखे का प्रभाव पड़ा था। (सारिणी–1)

वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक खरीफ एवं रबी में सूखा से प्रभावित जनपदों की सूची सारिणी–2 पर अंकित है। वर्ष 2018–19 से कोई भी जनपद सूखे की श्रेणी में नही है।

मानचित्रः विगत वर्षों (2002–03 से 2017–18) में सूखाग्रस्त जनपदों का विवरण

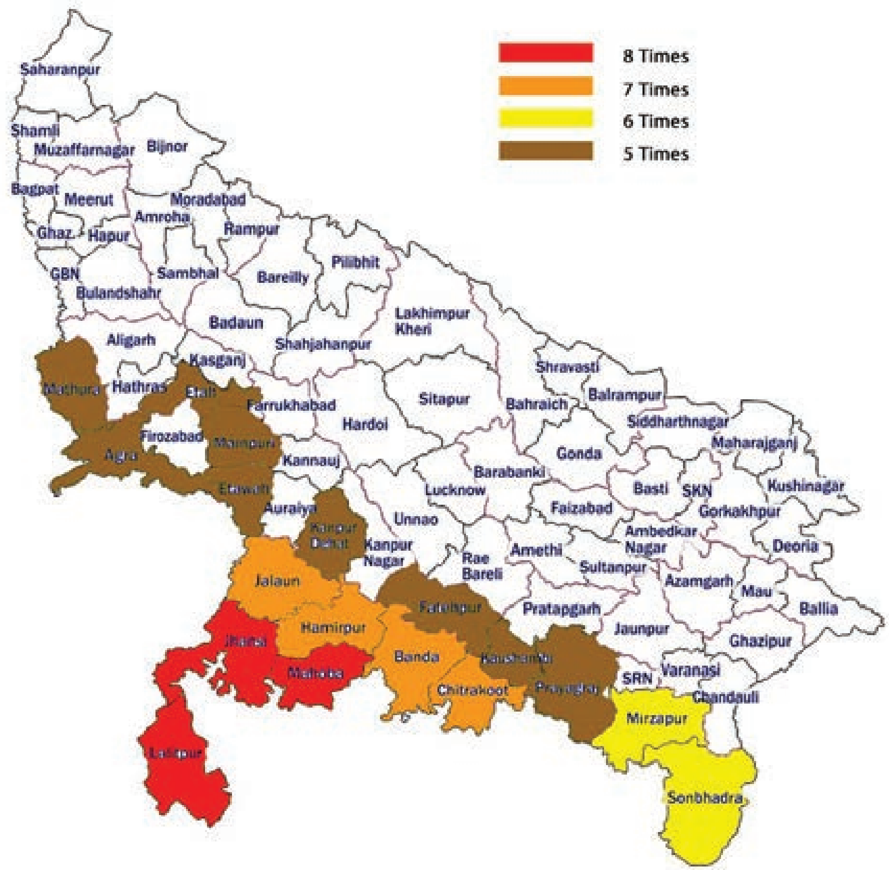

सारिणी–1

5 वर्ष एवं उससे अधिक सूखा प्रभावित जनपद (वर्ष 2002 से वर्ष 2017–2018 तक)

क0सं0	जिला	श्रेणी	प्रभावित होने की संख्या (2002 से 2018)	वर्ष
1	झांसी	गंभीर	8 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, (रबी 2017–18)
2	ललितपुर	गंभीर	8 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, (रबी 2017–18)
3	महोबा	गंभीर	8 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, (रबी 2017–18)
4	हमीरपुर	गंभीर	7 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016
5	बाँदा	गंभीर	7 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015,2016
6	चित्रकूट	गंभीर	7 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016
7	जालौन	गंभीर	7 बार	2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016
8	सोनभद्र	मध्यम	6 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015, (रबी 2017–18)
9	मिर्जापुर	मध्यम	6 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015 (रबी 2017–18)
10	आगरा	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
11	मैनपुरी	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
12	एटा	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
13	फतेहपुर	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
14	कौशाम्बी	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
15	इटावा	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
16	कानपुर देहात	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
17	मथुरा	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015
18	प्रयागराज	मध्यम	5 बार	2002, 2004, 2009, 2014, 2015

उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में सूखा की स्थिति (खरीफ एवं रबी) (वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक)

क्रमांक	जनपद	वर्ष	
		खरीफ	रबी
1	आगरा	2014-15, 2015-16	
2	अलीगढ़	2014-15,	
3	इलाहाबाद	2015-16	
4	अम्बेडकर नगर	2015-16	
5	अमेठी	2014-15, 2015-16	
6	अमरोहा	2014-15,	
7	औरेया	2014-15, 2015-16	
8	आजमगढ़	2014-15	
9	बदायूं	2014-15	
10	बागपत	2015-16	
11	बहराइच		
12	बलिया	2015-16	
13	बलरामपुर	2015-16	
14	बांदा	2014-15, 2015-16	2015-16
15	बाराबंकी	2015-16	
16	बरेली	2014-15	
17	बस्ती	2015-16	
18	भदोही	2015-16	
19	बिजनौर		
20	बुलन्दशहर	2014-15	
21	चंदौली	2015-16	
22	चित्रकूट	2014-15, 2015-16	2015-16
23	देवरिया	2014-15, 2015-16	
24	एटा	2014-15, 2015-16	
25	इटावा	2014-15, 2015-16	
26	फैजाबाद	2014-15, 2015-16	
27	फर्रूखाबाद	2014-15, 2015-16	
28	फतेहपुर	2014-15, 2015-16	
29	फिरोजाबाद	2014-15	
30	गौतमबुद्ध नगर	2014-15	
31	गाजियाबाद	2014-15, 2015-16	
32	गाजीपुर		
33	गोण्डा	2015-16	
34	गोरखपुर	2015-16	
35	हमीरपुर	2014-15, 2015-16	2015-16
36	हापुड़	2014-15	

37	हरदोई	2014-15	
38	हाथरस	2015-16	
39	जालौन	2014-15, 2015-16	2015-16
40	जौनपुर	2014-15, 2015-16	
41	झांसी	2014-15, 2015-16	2015-16, 2017-18
42	कन्नौज	2014-15, 2015-16	
43	कानपुर देहात	2014-15, 2015-16	
44	कानपुर नगर	2014-15, 2015-16	2015-16
45	कासगंज		
46	कौशाम्बी	2014-15, 2015-16	
47	कुशीनगर	2014-15, 2015-16	
48	लखीमपुर खीरी		
49	ललितपुर	2015-16	2015-16, 2017-18
50	लखनऊ	2015-16	
51	महाराजगंज	2014-15, 2015-16	
52	महोबा	2014-15, 2015-16	2015-16, 2017-18
53	मैनपुरी	2014-15, 2015-16	
54	मथुरा	2014-15	
55	मऊ	2014-15, 2015-16	
56	मेरठ	2014-15	
57	मिर्जापुर	2015-16	2017—18
58	मुरादाबाद		
59	मुजफ्फर नगर	2014-15	
60	पीलीभीत	2014-15, 2015-16	
61	प्रतापगढ़	2015-16	
62	रायबरेली	2015-16	
63	रामपुर	2014-15, 2015-16	
64	सहारनपुर	2014-15	
65	संभल		
66	संतकबीर नगर	2015-16	
67	शाहजहांपुर	2015-16	
68	शामली	2014-15	
69	सिद्धार्थ नगर	2015-16	
70	सीतापुर		
71	सोनभद्र	2014-15, 2015-16	2017—18
72	श्रावस्ती		
73	सुल्तानपुर	2015-16	
74	उन्नाव	2014-15, 2015-16	
75	वाराणसी		

नोट– वर्ष 2018–19 से अब तक किसी भी जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

भाग—2

सूखा प्रबन्धन हेतु गठित संगठन व उनके कृत्य

- राज्य कार्यकारिणी समिति
- सूखा मॉनीटरिंग कमेटी
- राज्य सूखा अनुश्रवण केन्द्र के कार्य

भाग–2: सूखा प्रबन्धन हेतु गठित संगठन व उनके कृत्य

राज्य कार्यकारिणी समिति (एस0ई0सी0)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है जो सूखा आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। उक्त समिति सूखा आपदा प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग या किसी प्राधिकरण या निकाय को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।

राज्य स्तर पर सूखा की स्थिति से निपटने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का होगा। सचिव एवं राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य–सचिव हैं। राज्य कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य निम्नवत् हैं–

क्र0	पदाधिकारी	पद
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
5	सचिव एवं राहत आयुक्त	सदस्य/संयोजक
	विशेष आमंत्रित सदस्य	
1	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
2	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद	सदस्य
11	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण	सदस्य
12	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
13	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन	सदस्य
14	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	निदेशक, भारतीय मौसम विभाग	सदस्य
16	निदेशक, सुदूर संवेदन केन्द्र	सदस्य

राज्य सूखा अनुश्रवण समिति

भारत सरकार के सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 में किये गये प्राविधानों के आलोक में सूखा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों पर अध्ययन और शोध कर राज्य सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रांक– 57/1–11–2018–6(जी)/2017 दिनांक 19 जनवरी, 2018 (परिशिष्ट–8) द्वारा राज्य स्तर

पर राज्य सूखा निगरानी केन्द्र (State Drought Monitoring Center) की स्थापना करते हुये उसके कार्यों के सम्पादन हेतु निम्न विवरण के अनुसार सूखा अनुश्रवण समिति का गठन किया गया हैः–

क्र0	पदाधिकारी	पद
1	राहत आयुक्त, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक (सा0प्र0 एवं एच0आर0डी0), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य सचिव
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा नामित सदस्य (अपर निदेशक से अन्यून)	सदस्य
4	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालय से नामित कृषि विशेषज्ञ	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
6	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	सदस्य
7	निदेशक मौसम विज्ञान विभाग, उ0प्र0	सदस्य
8	निदेशक रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, उ0प्र0	सदस्य
9	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, उ0प्र0	सदस्य

सूखा की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकतानुसार सूखा अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्न विभागों से उनके द्वारा सूखा प्रबंधन के लिए की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। सदस्य विभागों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अन्य विभागों को भी सूखा अनुश्रवण समिति की बैठक में बुलाया जा सकेगा।

राज्य सूखा निगरानी केन्द्र (डी0एम0सी0):

राज्य स्तर पर सूखे के अनुश्रवण हेतु गठित सूखा निगरानी केन्द्र (डी0एम0सी0), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय में स्थापित है।

कार्यः–

(i) सूखा मानीटरिंग सेन्टर (डी0एम0सी0) द्वारा एक डेटाबेस का निर्माण किया जायेगा जिसके माध्यम से सूखे से संबंधित विभिन्न सूचकांको यथा–वर्षा, भूमि उपयोग, कृषिजन्य दशायें, भू–गर्भ जल, सतही जल स्तर तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं यथा–प्रवास एवं आपात स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री आदि डाटा का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जायेगा।

(ii) डी0एम0सी0 द्वारा सूखे के संबंध में आवधिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में वर्षण की स्थिति, कृषि संव्यवहारों, फसल दशा, चारा, जलाशय स्तर एवं पेय जल से संबंधित रिपोर्ट सम्मिलित होगी।

(iii) डी0एम0सी0 द्वारा ज्ञान आधारित लोक नीति के निर्माण हेतु अन्तः आनुशासनिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) डी0एम0सी0 द्वारा राज्य में टेलीमेटरिक रेनगेज एवं मौसम स्टेशन नेटवर्क की स्थापना की जायेगी, जिसकी सहायता से मौसम एवं वर्षण के डाटाबेसों का सुधार सम्भव हो सकेगा।

(v) डी0एम0सी0 द्वारा नेशनल रिमोट सेसिंग सेन्टर (हैदराबाद) के समन्वय से सेटेलाइट की सहायता से सूखे का अनुश्रवण एवं स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (अहमदाबाद) की सहायता से फसलों की स्थिति के आंकलन आदि कियाकलापों का सम्पादन किया जायेगा।

(vi) सूखे से हुई क्षति के आंकलन तथा जल एवं मृदा के प्रबंधन आदि के आधार पर डी0एम0सी0 सूखे की घोषणा के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

राज्य सूखा अनुश्रवण समिति के अन्तर्गत उत्तरदायी मुख्य विभागों का दायित्व–

(क) मौसम विज्ञान विभाग– वर्षा के पूर्वानुमान का विश्लेषण कर मानसून संबंधित घोषणा करना तथा खरीफ एवं रबी ऋतु में होने वाली वर्षा के आंकड़ो का संग्रहण तथा उनका विश्लेषण कर वर्षा का विचलन (रैनफाल डेविएशन), मानक वर्षणपात सूचकांक (एस0पी0आई0), शुष्क दौर (ड्राई स्पेल) इत्यादि की गणना कर दैनिक/साप्ताहिक/मासिक सूचना उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना।

(ख) कृषि विभाग– मानसून की विभिन्न परिस्थितियों में प्रस्तावित फसल प्रबन्धन की रणनीति एंव आकस्मिक योजना तैयार करना तथा खरीफ एवं रबी फसलों के आच्छादन के आंकड़े का नियमित रूप से संग्रहण कर साप्ताहिक रिपोर्ट उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना।

(ग) रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी– खरीफ एवं रबी फसलों के सुदुर संवेदन आधारित प्ररोहण सूचकांक यथा एन0डी0वी0आई0, एन0डी0डब्लू0आई0, वी0सी0आई0 एवं भूमि में नमी की मात्रा का विश्लेषण कर मासिक सूचना उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना।

(घ) सिंचाई विभाग– प्रदेश के सिंचित एंव असिंचित क्षेत्रफल का वर्षवार विवरण, जलवैज्ञानीय सम्बन्धित सूचकांक यथा जलाशय भण्डारण सूचक (आर0एस0आई0), नदी–प्रवाह सूखा सूचक (एस0एफ0डी0आई0) आदि आंकड़ो की साप्ताहिक/मासिक सूचना उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 को सूचना उपलब्ध कराना।

(ड़) भूगर्भ जल विभाग– भू–जल सम्बन्धित आंकड़ों यथा भूजल सूखा सूचकांक (जी0डब्लू0डी0आई0) का विश्लेषण कर निधारित अवधि की सूचना उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना।

(उक्त के अतिरिक्त कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित "फसल मौसम निगरानी दल–सी0डब्लू0डब्लू0जी0डी0एम0" द्वारा की जाने वाली बैठकों हेतु आवश्यक सूचना तैयार करना।)

राज्य स्तर पर गठित सूखा अनुश्रवण समिति उपरोक्त आंकड़ो का परीक्षण करेगी तथा सूखा से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

नोडल विभाग

सूखा प्रबंधन के लिए राहत आयुक्त कार्यालय/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नोडल होगा।

जनपद स्तर पर सूखा प्रबन्धन :

जिले के आपदा प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण (Command and Control) जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधीन होगा जो सरकार की नीतियों, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्यवाही करेगें। अतः जिलाधिकारी Responcible Officer के रूप में कार्य करेंगे। आवश्यक होने पर वे अपने उत्तरदायित्व से संबंधित दैनिक गतिविधियों के संचालनार्थ जिले के अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) Incident Commander को भी दायित्व सौंप सकेंगे।

इसी प्रकार तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगें तथा वे सूखे की स्थिति से निपटने हेतु तहसील स्तरीय सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करेगें।

जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिलों में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति गठित है जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास विभाग इत्यादि विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होगें। इस टास्क फोर्स में जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जिले के स्वयंसेवी संगठन/सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विषय– विशेषज्ञों/आपदा विशेषज्ञों को विवेकानुसार सम्मिलित कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इस समिति के सदस्य–सचिव होंगे। यह समिति नियमित बैठकें कर स्थिति की समीक्षा करने तथा सूखा की स्थिति से निपटने के संबंध में निर्णय लेगी। जिला आपदा विशेषज्ञों द्वारा सूखे की स्थिति से जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को अवगत कराया जायेगा । जिलाधिकारी द्वारा जिले में सूखे की स्थिति की आख्या उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

भाग–3

सूचना का प्रवाह

- जनसमूह तक सूचना का प्रवाह

भाग–3: सूचना का प्रवाह

जनसमूह तक सूचना का प्रवाह

यह आवश्यक है कि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने की सही जानकारी सही समय पर जनसमूह तक पहुँचे। इस कार्य हेतु राहत आयुक्त कार्यालय एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से आवश्यकतानुसार प्रेस ब्रीफिंग एवं अन्य गतिविधियाँ की जायेगी।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी यथा कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, जल निगम, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा पंचायतीराज विभाग इत्यादि भी अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों, सूखा के संभावित प्रभावों से निपटने संबंधी उपायों की सही एवं ससमय जानकारी जनता तक पहुँचाने का प्रबंधन करेगें।

सूखा से सम्बन्धित विभिन्न सूचकांकों की विस्तृत जानकारियां सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं की निम्नाकिंत वेवसाईट से प्राप्त की जा सकेगीः–

विभाग/संस्था	सूचना	वेबसाइट्स
मौसम विज्ञान विभाग	मौसम विज्ञानीय आकड़े	https://mausam.imd.gov.in/ https://www.imdpune.gov.in/ https://mausam.imd.gov.in/lucknow/
कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सूखा मैनुअल में संशोधन	http://agricoop.nic.in
केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार	जलाशयों से सम्बन्धित आंकड़े, नदियों में जल का प्रवाह इत्यादि।	http://www.cwc.gov.in/
महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली।	सूखा की स्थिति का आंकलन	https://www.ncfc.gov.in/
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र।	सेटेलाइट आधारित सूचना	http://www.nrsc.gov.in
कृषि विभाग,उ0प्र0 शासन।	फसलों से सम्बन्धित आंकड़े,	http://upagripardarshi.gov.in
राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।	राहत संबंधी कार्य	https://rahat.up.nic.in
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।	सूखे की स्थिति का आंकलन/विश्लेषण	http://upsdma.up.nic.in

राहत आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित सूखा अनुश्रवण समिति द्वारा सूखा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं/आंकड़ो का परीक्षण कर अपनी संस्तुति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

भाग–4

सूखा निर्धारण के मानक

- खरीफ/रबी फसल को सूखा घोषित किये जाने हेतु मानक

भाग–4: सूखा निर्धारण के मानक

खरीफ सूखा निर्धारण की प्रक्रिया

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सूखा प्रबन्धन के लिए मैनुअल–2016 एवं संशोधन–2020 द्वारा किसी भी प्रशासनिक इकाई को सूखा घोषित करने के लिये निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैः–

चरण–1: सूखे का निर्धारण करने में वर्षा सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। सर्वप्रथम अनिवार्य संकेतक, यथा वर्षा विचलन अथवा एस0पी0आई0 अथवा शुष्क दौर का दिये गये मैट्रिक्स (ट्रिगर–1) के अनुसार सूखे का प्रारम्भिक मूल्यांकन कर लिया जाए।

प्रथम संकेत/अनिवार्य सूचकांक

(क) वर्षा का विचलन (Rainfall Deviation)

वर्षा विचलन को प्रतिशत में दर्शाया जाता है और इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती हैः– **वर्षा विचलन = { (वर्तमान वर्षा–सामान्य वर्षा) / सामान्य वर्षा }×100**

मानसून अवधि में सामान्य वर्षा (कम से कम 30 वर्षों का औसत) से कम वर्षा होने की स्थिति में अन्य सूचकांकों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। वर्षा के विचलन हेतु आई0एम0डी0 का वर्गीकरण तालिका निम्नानुसार हैः–

सामान्य वर्षा से विचलन (प्रतिशत)	श्रेणी
+19 से –19	सामान्य
–20 से –59	कम
–60 से –99	अत्यधिक कम
–100	कोई वर्षा नही हुई

(ख) मानक वर्षणपात सूचकांक (SPI)

स्टैण्डर्डराइज प्रेसीपिटेशन इन्डेक्स (SPI) की गणना करने के लिये वर्षणपात से संबंधित दीर्घावधिक आंकड़ो की आश्यकता होती है जिसका उपयोग कर सम्भावना वितरण प्रकार्य (Probability distribution function-Gamma Distribution) का निर्धारण किया जाता है जिसका माध्य शून्य एवं मानक विचलन एक होता है।

SPI आँकड़ों से सम्बन्धित सूचना आई0एम0डी0, पुणे, महाराष्ट्र की वेबसाइट www.imdpune.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

SPI का मान	श्रेणी
<–2.0	बहुत सूखा
–1.99 से –1.5	अत्यधिक सूखा
–1.49 से –1.0	मध्यम सूखा
–0.99 से 0	हल्का सूखा
0 से 0.99	हल्की वर्षा
1.0 से 1.49	मध्यम वर्षा
1.5 से 1.99	अत्यधिक वर्षा
>2.0	बहुत अधिक वर्षा

(ग) शुष्क दौर (Dry Spell)

मानसून की शुरूआत की निर्धारित तिथि के बाद यदि किसी प्रशासनिक इकाई में लगातार 03 से 04 सप्ताह तक, सामान्य वर्षा के सापेक्ष 50 प्रतिशत या इससे कम वर्षा हुयी हो, ऐसी स्थिति को शुष्क दौर (Dry Spell) कहा जाता है।

ट्रिगर–1: वर्षा विचलन एवं शुष्कता दौर का मैट्रिक्स

वर्षा विचलन /SPI	शुष्क दौर	सूखा ट्रिगर
कम अथवा विरल वर्षा /SPI<-1	हाँ	हाँ
कम अथवा विरल वर्षा /SPI<-1	नही	हाँ यदि वर्षा विरल अथवा SPI<-1.5 हो अन्यथा नही
सामान्य वर्षा /SPI>-1	हाँ	हाँ
सामान्य वर्षा /SPI>-1	नही	नही

चरण–2: इस प्रकार सूखे की प्रारम्भिक संकेत मिलने पर द्वितीय चरण में प्रभाव सकेंतक की जांच निम्नानुसार की जायेंगी।

द्वितीय संकेत (प्रभाव)

(क) फसलों का आच्छादन की स्थिति

यदि माह जुलाई/अगस्त के अन्त तक मानसून के न आने अथवा विलम्ब से आने के कारण खरीफ फसल हेतु बुवाई सामान्य के सापेक्ष 85 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल में आच्छादन न हो सका हो। इसी प्रकार रबी की फसलों हेतु माह अक्टूबर/नवम्बर के अन्त तक सामान्य के सापेक्ष 85 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल में आच्छादन न हो सका हो तो उपरोक्त दशाओं में सूखे की आशंका प्रबल होती है।

(ख) रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति

वर्तमान में सैटेलाइट के माध्यम से फसलों की स्थिति की नियमित निगरानी संभव होने लगी है। सैटेलाइट से प्राप्त फसल सम्बन्धी सूचना यथा–वनस्पतिकरण एवं नमी सूचकों का विश्लेषण कर सूखे के विषय में निर्णय लिया जा सकता है। इस हेतु श्रेणी निम्नानुसार हैः–

NDVI एवं NDWI के विचलन की स्थिति

NDVI एवं NDWI के विचलन प्रतिशत	श्रेणी
>-20	सामान्य
-20 से -30	मध्यम
<-30	गम्भीर

वनस्पतिकरण अवस्था सूचकांक (VCI) –

VCI मान प्रतिशत	श्रेणी
60 - 100	सामान्य
40 - 60	मध्यम
0 - 40	गम्भीर

(ग) मृदा आद्रता आधारित सूचक

मृदा नमी, फसल की वृद्धि एवं विकास हेतु एक महत्वपूर्ण नियंत्रक है। मृदा नमी एवं पर्याप्तता स्थान एवं समय के अनुसार परिवर्तनशील है। ISRO/NRSC के कृषि मौसम विज्ञान स्टेशनों द्वारा सैटेलाइट से प्राप्त आँकड़ों– मृदा नमी एवं पर्याप्तता का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त विश्लेषण के आधार पर सूखे का आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु श्रेणी निम्नानुसार हैः–

PASM or MAI %	श्रेणी
76 – 100	सामान्य
51 – 75	मध्यम
0 – 50	गम्भीर

- PASM - Percent Available Soil Moisture
- MAI -Moisture Adequacy Index

प्रदेश के **Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) / Normalized Difference Wetness Index (NDWI), Vegetation Condition Index (VCI)** एवं **मृदा आद्रता आधारित सूचक** आँकड़ों व सम्बन्धित सूचना रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) जल वैज्ञानीय सूचक

जलाशयों भण्डारण में कमी, धारा के प्रवाह में गिरावट तथा भूजल स्तर के गिरावट का दर सूखे के आंकलन हेतु उपयोगी संकेतक है। इन सूचकों से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा राज्य स्तर पर सिंचाई एवं भूजल विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।

जलाशय भण्डारण सूचक Reservoir Storage Index (RSI)

जलाशय में उपलब्ध जल की भण्डारित मात्रा में कमी का प्रतिशत पिछले 10 वर्षों का औसत भण्डारण	श्रेणी
20 प्रतिशत से कम	Normal
20 – 30 प्रतिशत तक	Mild
30 – 40 प्रतिशत तक	Moderate
40 – 60 प्रतिशत तक	Severe
> 60 प्रतिशत	Extreme

भूजल सूखा सूचकांक Groundwater Drought Index (GWDI)

GWDI	श्रेणी
>-0.15	Normal
-0.16 to -0.30	Mild
-0.31 to -0.45	Moderate
-0.46 to -0.60	Severe
<-0.60	Extreme

नदी–प्रवाह सूखा सूचक Stream-Flow Drought Index (SFDI)

SFDI	श्रेणी
<0.01	Weak
0.01 to 0.05	Mild
0.05 to 0.2	Moderate
0.2 to 0.5	Severe

मैट्रिक्स फार इम्पैक्ट इंडीकेटर (ट्रिगर–2)

Mandatory Indicators		Impact Indicators				Category of Drought
Rainfall indices		Agriculture	Remote Sensing	Soil Moisture	Hydrology	
Rainfall Deviation (RF dev) or SPI	Dry Spell	Crop Area sown	VCI or NDVI & NDWI Deviations	PASM/MAI	SFDI/RSI/GWDI	

अन्य कारक

सूखे के समग्र मूल्यांकन किये जाने हेतु उक्त कारकों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक–आर्थिक सूचकांकों का निगरानी किया जाना भी अति आवश्यक हैः–

- पशु चारे की आपूर्ति तथा सामान्य मूल्यों के सापेक्ष प्रचलित मूल्यों की तुलना
- पेय जल आपूर्ति की स्थिति
- लोक निर्माण कार्यों (Public Works) में रोजगार की मांग तथा मजदूरों को रोजगार की खोज में विस्थापन
- सामान्य स्थिति के सापेक्ष प्रचलित कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की तुलना
- खाद्यान्न की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति

जमीनी हकीकत का सत्यापन (Ground Truthing or Varification)

सूखे जैसी जटिल आपदा का विश्वसनीय एवं वास्तविक रूप से निर्धारण के लिये यह आवश्यक है कि मैट्रिक्स आधारित विश्लेषण से मध्यम अथवा गम्भीर श्रेंणी का संकेत मिलने पर जमीनी स्तर पर त्वरित नमूना सर्वेक्षण किया जाय। त्वरित नमूना सर्वेक्षण का परिणाम सूखे की गम्भीरता एवं विस्तार के निर्धारण में निर्णायक होगा।

त्वरित नमूना सर्वेक्षण हेतु सूखा प्रभावित गांवों में से रैण्डमली 10 प्रतिशत गांवों का चयन किया जाय, प्रत्येक चयनित गांवों में किन्ही 5 मुख्य क्षेत्रीय फसलों (एक एकड़ से अन्यून) का स्मार्ट फोन आधारित एप के माध्यम से निरीक्षण कर आंकड़े एकत्रित किये जायें। 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसलों की क्षति को सूखाग्रस्त घोषित करने का आधार माना जायेगा।

सूखे का निर्धारणः

सूखा घोषित करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित चार प्रभाव संकेतकों (प्रत्येक में से एक) में से किन्ही तीन प्रभाव संकेतकों पर विचार कर सूखा एवं उसकी गहनता/गम्भीरता पर निर्णय लिया जा सकता है।

व्याख्याः

सूखे की गहनता का निर्धारण चार प्रभाव संकेतकों यथा कृषि, सुदूर संवेदन, मृदा नमी एंव जल वैज्ञानीय में से किन्हीं तीन के मानों पर निम्नानुसार किया जायेगाः–

गम्भीर सूखा – यदि चयनित तीन प्रभाव संकेतकों में से दो गंभीर एवं एक मध्यम श्रेंणी में

मध्यम सूखा– यदि चयनित तीन प्रभाव संकेतकों में से दो मध्यम श्रेंणी में

सामान्य– अन्य किसी स्थिति में

(प्रदेश को सूखे की एक श्रेंणी अर्थात गम्भीर से मध्यम, कम करने का विकल्प होगा यदि प्रशासनिक इकाई में सिंचाई का आच्छादन 75 प्रतिशत से अधिक हो। इसी प्रकार सूखे की एक श्रेणी अर्थात मध्यम से गम्भीर, में उच्चीकृत करने का विकल्प होगा यदि 80 प्रतिशत स्थलीय सत्यापन में फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक पायी जाती है।)

चरण–3: उपरोक्त चरण 1 एवं 2 के माध्यम से सूखे का संकेत मिलने की दशा में उसकी पुष्टि त्वरित नमूना सर्वेक्षण के मध्यम से किया जायेगा। सूखे की गहनता का गम्भीर अथवा मध्यम श्रेंणी में निर्धारण में स्थलीय सत्यापन का निष्कर्ष अन्तिम होगा।

सूखा मैनुअल–2020 में खरीफ सूखा हेतु 31 अक्टूबर तक घोषित किये जाने की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

लगातार सूखे की स्थिति में सूखे की घोषणा के मापदंड यथावत होगें।

मौसम के आरंभिक काल में सूखे की घोषणा

सूखे जैसी स्थिति पैदा होने पर माह अगस्त में सूखे की घोषणा की जा सकती है।

खरीफ मौसम (जून से सितम्बर) हेतु सूखे के प्रारंभिक संकेतक

- दक्षिण–पश्चिम मानसून का विलम्ब से आगमन।
- दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान लम्बी अवधि तक शुष्क दौर।
- माह जून और जुलाई के दौरान अपर्याप्त वर्षा एवं छिटपुट वर्षा।
- तापमान और सापेक्ष आद्रता।
- पशु चारें के मुल्यों में वृद्धि।
- जलाशयों के भण्डारण में वृद्धि की प्रवर्ति का अभाव और नदियों/जलनिकायों की धारा प्रवाह की कमीं एवं भूजल स्तर में कमी दर।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्त्रोतों का सूख जाना।
- सामान्य की तुलना में बोआई की प्रगति में कमी
- ग्रामीण आबादी का पलायन।

रबी सूखा निर्धारण की प्रकिया

रबी मौसम मुख्य रूप से एक सिंचित कृषि/पारिस्थितिकी तन्त्र है, जो खाद्यान्न उत्पादन के बड़े अनुपात में योगदान देता है। सौर विकिरण की प्रचुर उपलब्धता के साथ सिंचित स्थितियां रबी फसल के उत्पादन के लिये अत्यन्त उपयोगी होती हैं। रबी फसल की अवधि सितम्बर/अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी/मार्च के अंत तक होती है। रबी के दौरान सूखा का होना मुख्यतः दक्षिण–पश्चिम मानसून के मौसम में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। रबी मौसम के दौरान सम्पूर्ण भारत के फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक (कुल रबी फसल का लगभग 20 प्रतिशत) योगदान रहता है।

रबी के दौरान सूखे का प्रमुख कारण दक्षिण–पश्चिम एवं उत्तर–पूर्व मानसून के मौसम में पर्याप्त/समय से वर्षा का न होना होता है जिसके कारण **अ**–मृदा की नमी में कमी, **ब**–जल निकायों में कम प्रवाह, **स**–भूगर्भ जल स्तर में गिरावट एवं **द**–जलाशयों के भण्डारण में कमी हो जाती है।

खरीफ की तरह, रबी के मौसम में भी खराब मानसून, फसलों पर बुवाई/रोपाई समय से पूर्ण न होना एवं मृदा में पर्याप्त नमी न होना आदि का फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रबी फसलों की खेती के निम्नलिखित 04 विविध कृषि–पारिस्थितिक श्रेणियाँ हैंः–

क्र0सं0	सिचुएशन/श्रेंणी	फसल का मौसम
1.	अवशिष्ट नमी के आधार पर वर्षा सिंचित स्थिति (Rainfed Crops depending on Residual Moisture)	सितम्बर/अक्टूबर से जनवरी तक
2.	सतही सिंचित कमान क्षेत्र (Surface Irrigated Command Areas)	अक्टूबर से अप्रैल
3.	भूजल सिंचित क्षेत्र–कमान क्षेत्रों से बाहर (Ground Water Irrigated Areas -Outside the Command Areas)	अक्टूबर से अप्रैल
4.	उत्तर–पूर्वी मानसून पर निर्भर सिंचित स्थिति (North-East Monsoon Dependent Areas)	अक्टूबर से फरवरी

उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रदेश के कितने जनपद सिचुएशन 1, 2, 3 एवं 4 में आते हैं, इसकी समीक्षा करने के उपरान्त ही प्रथम संकेत/अनिवार्य सूचकांक एवं प्रभाव संकेतक के अनुसार सूखा निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रथम संकेत/अनिवार्य सूचकांक

(क) वर्षा का विचलन (Rainfall Deviation)

(ख) मानक वर्षणपात सूचकांक (SPI)

(ग) शुष्क दौर (Dry Spell)

द्वितीय संकेत (प्रभाव)

(क) फसलों के आच्छादन की स्थिति –बुवाई क्षेत्रफल

(ख) रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति

NDVI एवं NDWI के विचलन की स्थिति

वनस्पतिकरण अवस्था सूचकांक (VCI)

(ग) मृदा आद्रता आधारित सूचक

मृदा नमी की प्रतिशत उपलब्धता (PASM)

नमी पर्याप्तता सूचकांक (MAI)

(घ) जल वैज्ञानीय सूचक

जलाशय भण्डारण सूचक (RSI)

भूजल सूखा सूचकांक (GWDI)

अन्य सूचकांक

राज्य सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांकों का मूल्यांकन कर सकती हैं।

जमीनी हकीकत का सत्यापन (Ground Truthing or Varification)

खरीफ फसलों के अनुसार रबी के सूखे का भी निर्धारण अंतिम/महत्वपूर्ण मापदंड जमीनी हकीकत के सत्यापन के आधार पर होगा।

श्रेणीवार रबी सूखे की निर्धारण की प्रक्रिया–

(क) अनिवार्य सूचकांकों का मूल्यांकन

क्र0सं0	सिचुएशन/श्रेणी	अनिवार्य सूचकांक
1.	अवशिष्ट नमी के आधार पर वर्षा सिंचित स्थिति (Rainfed Crops depending on Residual Moisture)	माह सितम्बर से दिसम्बर तक वर्षा की स्थिति (Rainfall Deviation/SPI & Dry Spell)
2.	सतही सिंचित कमान क्षेत्र (Surface Irrigated Command Areas)	माह सितम्बर/अक्टूबर के अन्त तक जलाशय भण्डारण की स्थिति
3.	भूजल सिंचित क्षेत्र–कमान क्षेत्रों से बाहर (Ground Water Irrigated Areas -Outside the Command Areas)	मानूसन के पश्चात भूजल सूखा सूचकांक (GWDI) की स्थिति
4.	उत्तर–पूर्वी मानसून पर निर्भर सिंचित स्थिति (North-East Monsoon Dependent Areas)	उत्तर–पूरब मानसून के दौरान वर्षा की स्थिति (अक्टूबर से दिसम्बर),(Rainfall Deviation/SPI & Dry Spell)

(ख) प्रभाव सूचकांकों का मूल्यांकन

क्र0सं0	सिचुएशन/श्रेणी	प्रभाव सूचकांक
1.	अवशिष्ट नमी के आधार पर वर्षा सिंचित स्थिति (Rainfed Crops depending on Residual Moisture)	–फसलों का आच्छादन की स्थिति –मृदा आद्रता आधारित सूचक (PASM/MAI) –रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति NDVI/NDWI अथवा VCI
2.	सतही सिंचित कमान क्षेत्र (Surface Irrigated Command Areas)	–फसलों का आच्छादन की स्थिति –रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति NDVI/NDWI अथवा VCI

		–भूजल सूखा सूचकांक (GWDI)
3.	भूजल सिंचित क्षेत्र–कमान क्षेत्रों से बाहर (Ground Water Irrigated Areas -Outside the Command Areas)	–फसलों के आच्छादन की स्थिति –रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति NDVI / NDWI अथवा VCI
4.	उत्तर–पूर्वी मानसून पर निर्भर सिंचित स्थिति (North-East Monsoon Dependent Areas)	–फसलों के आच्छादन की स्थिति –मृदा आद्रता आधारित सूचक (PASM/MAI) –रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति NDVI / NDWI अथवा VCI –जल वैज्ञानीय सूचक (RSI/GWDI)

चरण–1: सूखे का निर्धारण करने में वर्षा सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। सर्वप्रथम अनिवार्य संकेतक, यथा वर्षा विचलन अथवा एस0पी0आई0 अथवा शुष्क दौर का दिये गये मैट्रिक्स (ट्रिगर–1) के अनुसार सूखे का प्रारम्भिक मूल्यांकन कर लिया जाए।

अनिवार्य सूचकांकों हेतु मैट्रिक्स (ट्रिगर–1)

सिचुएशन / श्रेंणी	अनिवार्य सूचकांक	स्थिति	सूखा ट्रिगर
सिचुएशन 1: अवशिष्ट नमी के आधार पर वर्षा सिंचित स्थिति (Rainfed Crops depending on Residual Moisture)	माह सितम्बर से दिसम्बर तक वर्षा की स्थिति (Rainfall Deviation/SPI & Dry Spell)	कम अथवा विरल वर्षा / SPI<-1 एवं शुष्क दौर	हाँ
		कम अथवा विरल वर्षा / SPI<-1	हाँ, यदि वर्षा विरल अथवा SPI<-1.5 हो अन्यथा नही
		सामान्य वर्षा / SPI>-1 एवं शुष्क दौर	हाँ
		सामान्य वर्षा / SPI>-1	नही
सिचुएशन 2: सतही सिंचित कमान क्षेत्र (Surface Irrigated Command Areas)	माह सितम्बर / अक्टूबर के अन्त तक जलाशय भण्डारण की स्थिति	पिछले 10 वर्षों के औसत भण्डारण की तुलना में जलाशय में उपलब्ध जल की भण्डारित मात्रा में 30 प्रतिशत या इससे अधिक की कमी	हाँ
सिचुएशन 3: भूजल सिंचित क्षेत्र–कमान क्षेत्रों से बाहर (Ground Water Irrigated Areas -Outside the Command Areas)	मानूसन के पश्चात भूजल सूखा सूचकांक (GWDI) की स्थिति	मानूसन के पश्चात भूजल सूखा सूचकांक (GWDI) <-0.30	हाँ

सिचुएशन 4: उत्तर–पूर्वी मानसून पर निर्भर सिंचित स्थिति (North-East Monsoon Dependent Areas)	उत्तर–पूरब मानसून के दौरान वर्षा की स्थिति (अक्टूबर से दिसम्बर),(Rainfall Deviation/SPI & Dry Spell)	कम अथवा विरल वर्षा / SPI<-1 एवं शुष्क दौर	हाँ
		कम अथवा विरल वर्षा / SPI<-1	हाँ, यदि वर्षा विरल अथवा SPI<-1.5 हो अन्यथा नही
		सामान्य वर्षा / SPI>-1 एवं शुष्क दौर	हाँ
		सामान्य वर्षा / SPI>-1	नही

चरण–2: इस प्रकार सूखे की प्रारम्भिक संकेत मिलने पर द्वितीय चरण में प्रभाव सकेंतक की जांच निम्नानुसार की जायेंगी।

प्रभावी सूचकांकों हेतु मैट्रिक्स (ट्रिगर–2)

सिचुएशन / श्रेंणी	फसलों का आच्छादन की स्थिति	रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति NDVI / NDWI अथवा VCI	मृदा आद्रता आधारित सूचक (PASM/MAI)	जल वैज्ञानीय सूचक
सिचुएशन 1: अवशिष्ट नमी के आधार पर वर्षा सिंचित स्थिति (Rainfed Crops depending on Residual Moisture)	Applicable	Applicable	Applicable	Not Applicable
सिचुएशन 2: सतही सिंचित कमान क्षेत्र (Surface Irrigated Command Areas)	Applicable	Applicable	Not Applicable	Only **GWDI**
सिचुएशन 3: भूजल सिंचित क्षेत्र–कमान क्षेत्रों से बाहर (Ground Water Irrigated Areas -Outside the Command Areas)	Applicable	Applicable	Not Applicable	Not Applicable
सिचुएशन 4: उत्तर–पूर्वी मानसून पर निर्भर सिंचित स्थिति (North-East Monsoon Dependent Areas)	Applicable	Applicable	Applicable	Only **RSI/GWDI**

सूखे का निर्धारण:

रबी सूखा घोषित करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित चार सिचुएशन/श्रेणियों पर विचार कर सूखा एवं उसकी गहनता/गम्भीरता पर निर्णय लिया जा सकता है।

व्याख्याः

सिचुएशन/श्रेणी 1, 2 एवं 4 के लिये :–

गम्भीर सूखा –यदि कोई दो संकेतक गंभीर श्रेणी में।

मध्यम सूखा –यदि एक संकेतक गंभीर श्रेणी में तथा एक संकेतक मध्यम श्रेणी में।

–यदि कोई दो संकेतक मध्यम श्रेणी में।

सिचुएशन/श्रेणी 3 के लिये :–

गम्भीर सूखा –यदि कोई एक संकेतक गंभीर श्रेणी में।

मध्यम सूखा –यदि दोनों संकेतक मध्यम श्रेणी में।

चरण–3: उपरोक्त चरण 1 एवं 2 के माध्यम से सूखे का संकेत मिलने की दशा में उसकी पुष्टि त्वरित नमूना सर्वेक्षण के मध्यम से किया जायेगा। सूखे की गहनता का गम्भीर अथवा मध्यम श्रेणी में निर्धारण में स्थलीय सत्यापन का निष्कर्ष अन्तिम होगा।

सूखा मैनुअल–2020 में रबी सूखा हेतु 31 मार्च तक घोषित किये जाने की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

लगातार सूखे की स्थिति में सूखे की घोषणा के मापदंड यथावत होगें।

मौसम के आरंभिक काल में सूखे की घोषणा

सूखे जैसी स्थिति पैदा होने पर माह नवम्बर/दिसम्बर में सूखे की घोषणा की जा सकती है।

रबी मौसम (नवम्बर से जनवरी) हेतु सूखे के प्रारंभिक संकेतक

- दक्षिण–पश्चिम मानसून (30 सितम्बर तक) के अंतिम आँकड़ें।
- सामान्य की तुलना में भूजल स्तर में भारी गिरावट।
- दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान जलाशयों के भण्डारण में सामान्य की तुलना में अत्यधिक कमी।
- मृदा की नमी में कमीं।
- तापमान और सापेक्ष आद्रता।
- पशु चारें के मुल्यों में वृद्धि।
- टैंकरों के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाना।

नोट– राज्य के विभिन्न संबंधित विभागों एवं जनपद स्तर पर सूचनाओं को एकत्रित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी सूखा मैनुअल–2020 (संशोधित) में संलग्न संबंधित फार्म/प्रारूप प्राप्त किये जा सकते हैं।

भाग—5

सूखा संकेतांकों का विश्लेषण

- सूखा घोषणा के पूर्व उसके संकेतांकों का विश्लेषण
- वर्षा/बुवाई आच्छादन आदि के आंकड़ो का विश्लेषण
- संकेतांकों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण
- निगरानी/सतर्कता संकेतांक (Watch/Alert Indicator)
- सूखा की अनुमानित परिस्थितियाँ

भाग—5: सूखा संकेतांकों का विश्लेषण

सूखा घोषणा के पूर्व उसके संकेतांकों का विश्लेषण

यदि रोपण की अवधि में बिल्कुल वर्षा न हो अथवा खरीफ फसलों का आच्छादन तथा वर्षा की स्थिति चिन्तनीय हो जाए तो सरकार द्वारा विभिन्न संकेतांकों का विश्लेषण कर प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। राज्य में खरीफ फसलों का आच्छादन प्रायः 15 अगस्त तक किया जाता है। अतएव उक्त तिथि के आस—पास आच्छादन/वर्षा के आंकड़ों के विश्लेषण के आलोक में आवश्यकतानुसार सूखा की घोषणा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

सूखा की घोषणा के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत सूखा प्रबंधन मैनुअल (Manual for Drought Management) में संकेतांकों का उल्लेख किया गया है। जो कि निम्नानुसार हैं:—

- वर्षा संबंधित सूचकांक— वर्षा का विचलन, शुष्क दौर एवं मानक वर्षणपात
- बोया गया फसल क्षेत्रफल
- सैटेलाइट आधारित फसल की स्थिति— NDVI, NDWI, VCI
- मृदा नमी सूचकांक— MAI, PASM
- जल वैज्ञानीय सूचकांक—जलाशय भण्डारण, धारा प्रवाह एवं भू—जल स्तर

उक्त के अतिरिक्त सूखा प्रबंधन मैनुअल में अन्य कतिपय कारकों पर विचार करने का सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया है :—

- पशु चारे की आपूर्ति तथा सामान्य मूल्यों के सापेक्ष प्रचलित मूल्यों की तुलना
- पेय जल आपूर्ति की स्थिति
- लोक निर्माण कार्यों (Public Works) में रोजगार की मांग तथा मजदूरों को रोजगार की खोज में विस्थापन
- सामान्य स्थिति के सापेक्ष प्रचलित कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की तुलना
- खाद्यान्न की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति

वर्षा के आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा कृषि विभाग, उ0प्र0 सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। बुवाई की स्थिति तथा फसलों का रोपण एवं आच्छादन के संबंध में कृषि विभाग, उ0प्र0 सरकार के द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। सुदूर संवेदन संबंधित समस्त संकेतांक NDVI, NDWI, MAI एवं PASM की जनवदवार संकलित सूचना रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

उक्त के अतिरिक्त National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS) instituted by National Remote Sensing Centre (NRSC) भारत सरकार द्वारा समस्त सूखा संबंधी सूचकांकों का विस्तृत विश्लेषण कर मासिक रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है।

पशु चारे के मूल्यों, रोजगार की मांग एवं मजदूरों के रोजगार की खोज में विस्थापन, कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी में सामान्य स्थिति की तुलना में अन्तर तथा खाद्यान्न/आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढ़ाव जैसे कारकों का संख्यात्मक (Quantitative) विश्लेषण संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

कृषि विभाग द्वारा खरीफ/रबी फसलों के आच्छादन का दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में राहत आयुक्त कार्यालय एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा। कृषि विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा।

वर्षा/बुवाई आच्छादन आदि के आंकड़ो का विश्लेषण

राज्य में अधिकांश भाग में धान की फसल खरीफ के मौसम की मुख्य फसल मानी जाती है। हालांकि धान के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, दलहन, जैसी फसलें भी किसानों द्वारा बोयी जाती हैं। धान का आच्छादन मानसून की वर्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके बीज को खेत में डालने से लेकर रोपाई तक पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। फसल के पकने से पूर्व भी सिंचाई कार्य हेतु पानी की आवश्यकता होती है। अतएव भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण–पश्चिमी मानसून के आगमन के प्रथम चरण के दीर्घकालीन पूर्वानुमान के जारी होने तथा मानसून के आगमन के साथ ही वर्षापात/धान रोपाई का आच्छादन के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना राजस्व / कृषि विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर सर्वे किया जाना जिलाधिकारियों के लिए आवश्यक होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अप्रैल के तृतीय/चतुर्थ सप्ताह में मानसून के प्रथम चरण का दीर्घकालीन पूर्वानुमान जारी किया जाता है जिसे उक्त विभाग के वेबसाईट www.imd.gov.in पर देखा जा सकता है। इसी वेबसाईट पर मानसून के आगमन तथा उसके दिन–प्रतिदिन के संचरण की गतिविधि मैप तथा अन्य सूचनायें अपलोड की जाती है जिसका अनुश्रवण राहत आयुक्त कार्यालय/ कृषि विभाग एवं सभी जिलों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। जून माह के प्रथम सप्ताह में मानसून के द्वितीय चरण का दीर्घकालीन पूर्वानुमान उक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है। साथ ही मानसून की वापसी की भी जानकारी अपलोड की जाती है। मानसून के संचरण के साथ ही उक्त विभाग प्रतिदिन अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान (All India Weather Forecast) भी उक्त वेबसाईट पर अपलोड करता है। राज्य में मानसून के आगमन की संभावित तिथि 15–20 जून मानी गयी है। वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण सामान्य वर्षा के सापेक्ष वास्तविक वर्षा के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार धान की रोपाई के आंकड़ों का विश्लेषण सामान्य के सापेक्ष वास्तविक आच्छादन के आधार पर किया जाएगा।

वर्षा के आंकड़ों को इकट्ठा करने का दायित्व राज्य स्तर पर कृषि निदेशक (सांख्यिकी) का होगा। कृषि निदेशालय 1 जून से प्रारम्भ कर सामान्य के सापेक्ष प्रतिदिन के वास्तविक वर्षा की रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कृषि विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य सचिव एवं अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स को भेजना सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त दैनिक वर्षा के आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से भी प्राप्त किये जाएगें।

खरीफ फसलों के आच्छादन का दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि विभाग, राहत आयुक्त कार्यालय/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा। कृषि विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा।

संकेतांकों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण:

प्रदेश में वर्षा के सामान्य से कम होने अथवा मानसून के प्रथम चरण के दीर्घकालीन पूर्वानुमान में मानसून के कमजोर रहने की स्थिति में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (Crisis

Management Plan) में वर्णित संकेतांकों के आलोक में आँकड़ों का विश्लेषण कर सूखा की स्थिति के संबंध में यथानुसार राहत आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित सूखा अनुश्रवण समिति द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति यथानुसार स्थिति की समीक्षा कर संबंधित विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करायेगी।

इसी प्रकार जनपद स्तर पर वर्षापात/बुवाई आच्छादन की स्थिति की समीक्षा कर सूखा की स्थिति के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा एवं तदनुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। सूखा की स्थिति के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (Crisis Management Plan) में वर्णित संकेतांक एवं रेस्पांस के लिए की जाने वाली कार्यवाहियां निम्न हैः–

निगरानी/सतर्कता संकेतांक (Watch/Alert Indicator)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्यवाहियां
• मानसून का विलम्ब से आगमन के पूर्वानुमान के साथ जल संकट तथा गर्म हवाओं की लहर। • पूर्व में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मानसून के विलम्ब से आगमन एवं अप्रैल–जून माह में अल्प वर्षापात (–19 प्रतिशत अथवा उससे कम) का पूर्वानुमान।	• आवश्यकतानुसार जिला सूखा निगरानी प्रकोष्ठ की बैठक कर स्थिति की समीक्षा एवं निर्देश जारी किया जाना। • आकस्मिक फसल योजना तैयार करना तथा इसका प्रभावी प्रचार–प्रसार। • अल्पकालिक जल संरक्षण के उपाय करना। • उचित स्वास्थ्य संबंधी परामर्श/सूचनाएं प्रसारित करना तथा आकस्मिक चिकित्सीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • गैर कृषि कार्यों यथा औद्योगिक, व्यवसायिक उपयोग में भू–जल के दोहन पर निगरानी।

चेतावनी संकेतांक (Warning Indicator)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
• दक्षिण–पश्चिमी मानसून का बिलम्ब से आगमन • जून से मध्य जुलाई के बीच दो सप्ताह से अधिक अवधि तक अल्प वर्षापात (सामान्य वर्षा से विचलन का –19% अथवा उससे कम) • गंभीर जल संकट • भू–जल एवं सतही जल के स्तर में पूर्व वर्षों के सामान्य औसत की तुलना में कमी	• जिला सूखा निगरानी प्रकोष्ठ की बैठक में विभिन्न लाईन एजेसियों की द्वारा की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा • आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ • जल संरक्षण की अल्पकालीन योजनाओं का कार्यान्वयन

आपातकालीन संकेतांक (Emergency Indicator)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
• रोपाई के मौसम में अल्प वर्षा या वर्षा का नहीं होना	• जिला सूखा निगरानी प्रकोष्ठ की बैठक में विभिन्न लाईन एजेसिंयों के द्वारा की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा

• मानसून की समयपूर्व वापसी • चार अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा का न होना • –20% से –59% तक अल्प वर्षापात • गर्म हवा एवं पानी की कमी के कारण फसलों का सूखना (Wilting of Crops) • चार सप्ताह से अधिक अवधि तक सामान्य से 50% से कम वर्षा होने पर शुष्क दौर (Dry Spell)	• पौध एवं फसलों को बचाने हेतु डीजल सब्सिडी का वितरण • आकस्मिक फसल योजना के अनुसार कार्रवाई करना • स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना • वैकल्पिक फसल की रोपाई के लिए कार्रवाई करना • पेय जल संकट से निपटने के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार पुराने हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं नए हैण्डपम्पों को लगवाना • सिंचाई हेतु नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई तथा नहरों की कटिंग पर सतत निगरानी की कार्रवाई करना। • खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना • राजकीय नलकूपों की यांत्रिक एवं विद्युत दोषों को दूर करना • ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना • मनरेगा के अन्तर्गत अनुपूरक रोजगार की व्यवस्था • पशु शिविर स्थलों को चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कार्रवाई करना

विकट संकेतांक (Acute Indicator)

संकेतांक	रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ
• दक्षिण–पश्चिमी मानसून का निर्धारित समय से पूर्व वापसी। • दक्षिण–पश्चिमी मानसून का मानसून अवधि (जुलाई–अक्टूबर) के बीच में वापसी। • अत्यन्त अल्प वर्षापात (50% अथवा उससे कम) • मृदा नमी में गंभीर कमी और वनस्पतिक सूचकांक पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो। • बुवाई वाले क्षेत्रों में 3 – 4 सप्ताह से अधिक वर्षा का नहीं होना। • भू–जल एवं सतही जल की उपलब्धता में गंभीर कमी।	• जिला सूखा निगरानी प्रकोष्ठ की बैठक में विभिन्न लाईन। एजेंसियों के द्वारा की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा। • पौध एवं फसलों को बचाने हेतु डीजल सब्सिडी का वितरण • स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना। • आकस्मिक फसल योजना के अनुसार वैकल्पिक फसल की रोपाई के लिए कार्रवाई करना। • पेय जल संकट से निपटने के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार पुराने हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं नए हैण्डपम्प लगवाना। • सिंचाई हेतु नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई • खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना • राजकीय नलकूपों की यांत्रिक एवं विद्युत दोषों को दूर करना • ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। • मनरेगा के अन्तर्गत अनुपूरक रोजगार की व्यवस्था।

	• पशु शिविर स्थलों को चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कार्रवाई करना। • वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण एवं राज्य सूखा अनुश्रवण समिति/जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में की जा रही कार्रवाईयों का अनुश्रवण।

सूखा की अनुमानित परिस्थितियाँ

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्षा विचलन की श्रेणियां–

क0सं0	वर्षा की अनुमानित स्थितियाँ	वर्षा की स्थिति
1	सामान्य वर्षा (Normal Rainfall)	सामान्य वर्षा से + 19 to -19 तक वर्षापात
2	अल्प वर्षा (Deficient Rainfall)	सामान्य वर्षा से -20 से -59 तक वर्षापात
3	अपर्याप्त वर्षा (Scanty Rainfall)	सामान्य वर्षा से -60 से -99 तक वर्षापात
4	वर्षा में अन्तराल (Dry Spell)	तीन अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होना
5	मॉनसून की समय पूर्व वापसी (Early Withdrawal of Monsoon)	सितम्बर माह से पहले मॉनसून की वापसी एवं वर्षा न होना
6	वर्षा का नहीं होना (No Rainfall)	सामान्य वर्षा से -100

यदि वर्षा सामान्य अथवा उससे अधिक रही तो सूखा की संभावना प्रायः नहीं रहती, अपितु राज्य में बाढ़ की संभावना प्रबल हो जाती है। किन्तु (i) अल्प अथवा अपर्याप्त वर्षापात, (ii) वर्षा में अन्तराल (Dry Spell) अथवा (iii) मॉनसून की समय–पूर्व वापसी के कारण सूखा की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जहाँ तक वर्षा के बिलकुल भी नहीं होने का प्रश्न है, उस स्थिति में सूखा स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अतएव भाग–7 में उपरांकित 3 (तीन) स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाईयों को केन्द्र में रखकर ''मानक संचालन प्रक्रिया'' (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है।

भाग–6

सूखा निर्धारण की प्रक्रिया

- सूखा की घोषणा
- फ्लोचार्ट

भाग–6: सूखा निर्धारण की प्रक्रिया

सूखा की घोषणा

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सूखा प्रबंधन मैनुअल के आलोक में भाग–4 में उल्लिखित स्थितियों की समीक्षा एवं संकेतांकों के सम्यक विश्लेषण के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।

सूखा की घोषणा हेतु संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में खरीफ/रबी फसलों के आच्छादन, वर्षा की स्थिति एवं अन्य संकेतांकों के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। राजस्व अनुभाग–11 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–57/1–11–2018–6(जी)/2017 दिनांक 19 जनवरी, 2018 के द्वारा गठित सूखा अनुश्रवण कमेटी द्वारा जनपदों की प्रतिवेदन पर विश्लेषण कर अपनी संस्तुती राजस्व विभाग को देगी। राजस्व विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में राज्य स्तर पर निर्णय करेगी।

तत्पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा इस प्रस्ताव/आलेख पर मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर सूखा की घोषणा हेतु अधिसूचना निर्गत की जाएगी, जिसके आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न जिलों एवं विभागों से प्राप्त क्षति के आंकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरैण्डम तैयार किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा। यदि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्षति के आंकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण का समन्वय का कार्य संबंधित विभागों/जिलाधिकारियों एवं राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सूखा घोषणा प्रक्रिया

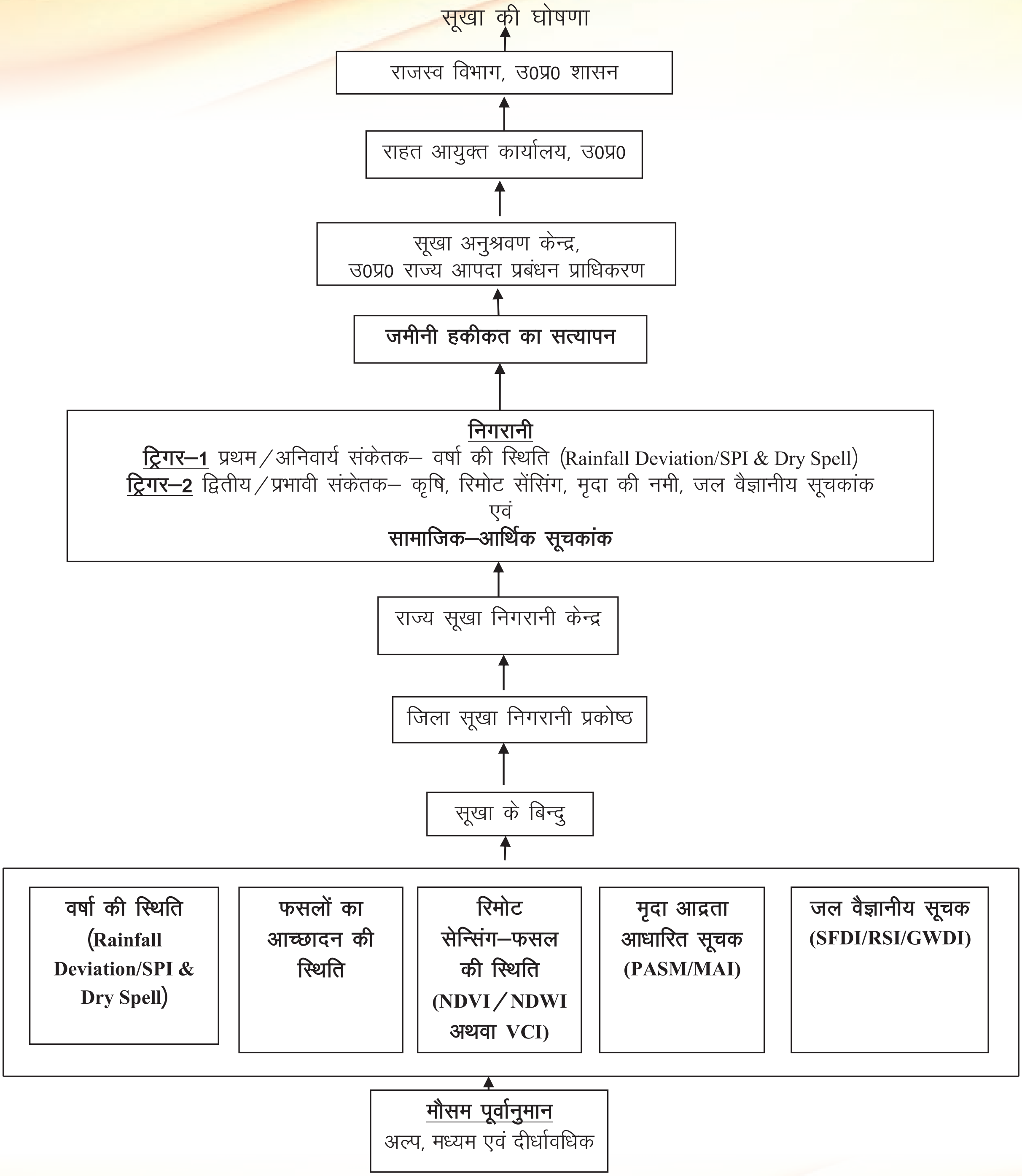
सूखा की घोषणा
राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन
राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0
सूखा अनुश्रवण केन्द्र,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
जमीनी हकीकत का सत्यापन
निगरानी
ट्रिगर–1 प्रथम/अनिवार्य संकेतक– वर्षा की स्थिति (Rainfall Deviation/SPI & Dry Spell)
ट्रिगर–2 द्वितीय/प्रभावी संकेतक– कृषि, रिमोट सेंसिंग, मृदा की नमी, जल वैज्ञानीय सूचकांक
एवं
सामाजिक–आर्थिक सूचकांक
राज्य सूखा निगरानी केन्द्र
जिला सूखा निगरानी प्रकोष्ठ
सूखा के बिन्दु
वर्षा की स्थिति (Rainfall Deviation/SPI & Dry Spell)
फसलों का आच्छादन की स्थिति
रिमोट सेन्सिंग–फसल की स्थिति (NDVI/NDWI अथवा VCI)
मृदा आद्रता आधारित सूचक (PASM/MAI)
जल वैज्ञानीय सूचक (SFDI/RSI/GWDI)
मौसम पूर्वानुमान
अल्प, मध्यम एवं दीर्घावधिक

भाग—7

मानक संचालन प्रक्रिया

- सूखा आपदा प्रबंधन एवं मानक संचालन प्रक्रिया :
- अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली परिचालन प्रक्रियाः
- वर्षा में अन्तराल (दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना) के आलोक में की जाने वाली परिचालन प्रक्रियाः
- मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली परिचालन प्रक्रियाँः
- सूखा की घोषणा के पश्चात् की जाने वाली परिचालन प्रक्रियाः

भाग–7: मानक संचालन प्रक्रिया

सूखा आपदा प्रबंधन एवं मानक संचालन प्रक्रिया :

लम्बी अवधि के सूखा या असामान्य मौसम की स्थितियों, यथा, विस्तारित शीतकाल (Extended Winter), ग्रीष्म काल में ठंड का होना (Cold Summers), बाढ़, जैविक कारक, जैसे, टिड्डयों/चूहों आदि के कारण प्लेग के प्रभाव से अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है।

सूखा जैसी आपदा से निपटने हेतु इस मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिका का समावेश किया गया है। सूखा की स्थिति में रोजगार सृजन (मनरेगा) आदि सुनिश्चित करके इसके कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। सूखा की स्थिति विभिन्न परिस्थितियों में अलग–अलग हो सकती है तथा उसी के अनुरूप कार्यवाही अपेक्षित है। जैसे माह अप्रैल/मई में भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून के पूर्वानुमान के आधार पर अनुमानित परिस्थितियों में अलग–अलग कार्यवाही आवश्यक है। ये अनुमानित परिस्थितियां अल्प वर्षा, छिटपुट वर्षा, ड्राई स्पेल और एस0पी0आई0 की अवधि अथवा मानसून के समय पूर्व वापसी हो सकती हैं। इन सभी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि फसलों की बुवाई हो सके तथा लगायी गई फसलों को बचाया जा सके। अतएव सूखा के पूर्व, सूखा के दौरान एवं सूखा के उपरांत विभिन्न विभागों के द्वारा बहुआयामी कार्यों का संपादन कर इस आपदा से निपटने की कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य होगा।

उद्देश्य

मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य

मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य सूखा के प्रबंधन को सरलीकृत करना तथा इस कार्य के लिए उत्तरदायी विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के समन्वय एवं सहयोग से सूखे के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

मानक संचालन प्रक्रिया से सूखा आपदा प्रबंधन कार्यों में निम्नलिखित स्पष्टता आयेगी :–

1. सूखा की स्थिति से निपटने एवं राहत कार्यों में विभिन्न विभागों की योजनाओं का समावेशीकरण।
2. सूखा की स्थिति में पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन, जानकारियों/आँकडों के संग्रह हेतु उत्तरदायित्वों के निर्धारण।
3. निर्णय लेने वालों (Decision-Makers) तक सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह हेतु संचार लाईन (Line of Communication) की पहचान।
4. संवेदनशील समूहों (Vulnerable Groups) व राहत कार्यों तथा अनुश्रवण में शामिल विभागों/एजेन्सियों की पहचान।

अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली परिचालन प्रक्रिया:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रथम/द्वितीय चरण के दीर्घकालीन पूर्वानुमानों के आलोक में–

राज्य में 2–3 वर्ष के अंतराल के पश्चात अल्प वर्षा के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। सामान्यतः बुंदेलखंड व विन्ध्य क्षेत्र के जनपद एवं जनपद आगरा व मथुरा सूखा प्रवण माने जाते हैं, परन्तु विगत कुछ वर्षों से यह भी पाया गया है कि प्रदेश के अन्य जनपद बाढ़ प्रवण के साथ–साथ सूखा से भी ग्रसित रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा माह अप्रैल मे मानसून के पूर्वानुमान की घोषणा में अगर मानसून कमजोर अथवा अल्प वर्षा या छिटपुट वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की जाती है तो यह आवश्यक है कि राज्य एवं जनपद स्तर पर सूखा का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु पूर्व तैयारियाँ कर ली जाएँ। ऐसा होने पर सूखा की स्थिति से निपटने

एवं राहत पहुँचाने में सुविधा होगी तथा साथ ही कृषकों एवं जन–समूह को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। सूखा की पूर्व तैयारियों के संबंध में निम्न कार्रवाइयाँ की जाएँगी (चेकलिस्ट **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है) :–

सारणी–1

क्र0	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी	समय सीमा
1.	**वर्षा की निगरानी** ● जनपद स्तर पर नियमित रूप से वर्षा के आंकड़ो का संग्रहण एवं विश्लेषण	नाजिर कलेक्ट्रेट / राहत लिपिक / कृषि विभाग	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी	पूरे वर्ष
2.	**पीने के पानी की उपलब्धता एवं इसके लिये आकस्मिक योजना** ● पेयजल संकट प्रबंधन हेतु 15 अप्रैल तक आकस्मिक योजना बनाना तथा पूर्व तैयारी की समीक्षा करना ● निर्माणाधीन पाइप जलापूर्त्ति योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना तथा आकस्मिक स्थिति में पेयजल समस्या को पूर्ण करने हेतु टैंकर्स से पानी की व्यवस्था किया जाना।	जल निगम विभाग	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / अधिशासी अभियंता / सहायक अभियंता, जल निगम	15 अप्रैल तक
	● बन्द पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत व नए हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	पंचायतीराज विभाग	जिला पंचायत राज अधिकारी / अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड	15 अप्रैल तक
3.	**आकस्मिक फसल योजना** ● सूखा की स्थिति हेतु खरीफ फसल के लिये आकस्मिक योजना बनाना / आकस्मिक योजना को अद्यतन करना।	कृषि विभाग	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी	15 मई तक
4.	**फसल बीमा** ● सूखा के संकेताकों और तात्कालिक रूझानों को देखते हुए मौसम आधारित फसलों का बुआई से पूर्व ही अभियान चला कर एवं किसानों को जागरूक कर फसल बीमा कराना।	कृषि विभाग	उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी	शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुरूप
5	**किसान सम्मान निधि** किसान सम्मान निधि में भारत सरकार द्वारा किये गये प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के पात्र किसानों को धनराशि का वितरण किया जाना।	कृषि विभाग	उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी	पूरे वर्ष
6.	● जिन जनपदों में अल्प वर्षापात / सूखा के	सिंचाई / लघु	सिंचाई / लघु	15 जून

	कारण सिंचाई के पानी की कमी होने की संभावना है, स्थानीय स्थितियों के अनुरूप आकस्मिक योजना तैयार करना। आकस्मिक योजना में खरीफ की फसल के लिए बुवाई के लिए पानी की Supplementary Irrigation के लिए विभिन्न स्तरों पर की जानेवाली कार्रवाइयों की समीक्षा करना। • सिंचाई हेतु सभी ट्यूबवेलों के विद्युत व यांत्रिक दोषों को दूर करने के लिए उर्जा विभाग से समन्वय करना। • राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी ट्यूबबेलों में आवश्यक विद्युत आपूर्त्ति हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार करना। • विद्युत दोषों के कारण बंद पड़े ट्रासंफार्मरों/ ट्यूबवेलों को चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। • ऊर्जा विभाग द्वारा आकस्मिक योजना बनाना । • आकस्मिक योजना प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना • लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई से संबंधित विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं सूखा़ के लिए युद्धस्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। • नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।	सिंचाई/ऊर्जा विभाग	सिंचाई/ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ सहायक अभियंता	
7	**अवर्षण से यदि सूखे का आभास हो तो** • कम अवधि की जल संरक्षण (Short Term Water Conservation) संबंधी उपाय किया जाना। • मनरेगा के अन्तर्गत Water Harvesting की योजनायें जैसे तालाबों की मरम्मत इत्यादि का कार्य कराना। • पारंपरिक सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों जैसे – तालाब, पोखर आदि को रिचार्ज करने का प्रबंधन करना।	जल संसाधन विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ सिंचाई विभाग	जल संसाधन विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	15 अप्रैल से 30 जून तक
8	**खाद्यान्न की उपलब्धता** • खाद्य आपूर्ति विभाग के पास खाद्यान्न उपलब्धता का आंकलन तथा आवश्यकतानुसार भंडारण सुनिश्चित करना।	खाद्य आपूर्ति विभाग	जिला पूर्ति अधिकारी/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	15 जून तक।

9	**भुखमरी से बचाव** • राज्य आपदा मोचक निधि से उन परिवारों को अहैतुक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु जिनके पास खाद्यान्न न हो, अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराना।	राहत आयुक्त कार्यालय	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सतत् निगरानी।
10	**मानव स्वास्थ्य की देखभाल** • सूखा की स्थिति में संभावित बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को की जानेवाली कार्रवाईयों के संबंध में निर्देशित करेगा।	स्वास्थ्य विभाग / पी0एच0सी0/सी0एच0सी0	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	15 मई तक
11	**पशु संसाधन की देखभाल** पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग द्वारा आकस्मिक योजना तैयार करना, जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ भी शामिल होंगी :– • पशुओं के लिए पानी एवं चारे की व्यवस्था करना। • जलस्रोतों की पहचान एवं जल के संग्रहण के लिए लघु सिंचाई व जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित करना • शिविर यथा संभव राजकीय ट्यूबवेलों अथवा अन्य जल स्रोतों के आस–पास स्थापित किए जाएं • पशुचारा का संग्रहण एवं आपूर्त्ति की व्यवस्था पूर्व से ही करना। कम नमी में जमने वाली घास बरसीम, फॉडर ब्लाक एवं अन्य दूसरे पशु आहार भूसा इत्यादि की व्यवस्था या उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी लाईजन रखना होगा। • सूखा के दौरान पशुओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों के लिए पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइंयो/टीको इत्यादि का प्रबंधन करना। • इस योजना को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना। • पशु/ पक्षियों के मृत शरीर को जलाने अथवा दफनाने का स्थान चिन्हित करना। • अकाल जैसी स्थिति में पानी की अत्यधिक कमी हो जाने पर वनों एवं जंगलों में पशु–पक्षियों को पीने के लिये चरनी/नांद में पानी की व्यवस्था की जाय।	पशुपालन विभाग / मत्स्य विभाग/लघु सिंचाई /जल संसाधन विभाग /वन विभाग	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ मत्स्य विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी/ लघु सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	15 जून तक

12	**रोजगार की उपलब्धता** ● रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार किये जानेवाले विभिन्न कार्यों की पहचान की जाएगी। ● कैम्प लगवाकर लाभर्थियों, जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं, के जॉब कार्ड बनवाना।	ग्राम्य विकास विभाग	मुख्य विकास अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी	30 मई तक।
13	**सामाजिक सुरक्षा** ● छात्रवृत्ति का वितरण ससमय कराना ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटे। ● बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना। ● स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन का कार्यान्वयन कराना। ● अकाल जैसी स्थिति में जन–सामान्य में अपराध / लूट इत्यादि की समस्यायें बढ़ जाती हैं जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय।	समाज कल्याण विभाग / महिला एवं बाल विकास / शिक्षा विभाग / पुलिस विभाग	जिला समाज कल्याण अधिकारी / बी0एस0ए0 / पुलिस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	30 मई तक।
14	**सूचना एवं मीडिया का प्रबंधन** ● भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग से प्राप्त वर्षा एवं फसल आच्छादन के आंकड़े का विश्लेषण उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूखा से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को प्रसाारित कराने हेतु मीडिया को जानकारी देना।	उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / राहत आयुक्त कार्यालय / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	जिला सूचना अधिकारी	सतत्

वर्षा में अन्तराल (दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना) के आलोक में की जाने वाली परिचालन प्रक्रियाः

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रथम / द्वितीय दीर्घकालीन पूर्वानुमान के आलोक में दक्षिण–पश्चिमी मानसून की स्थिति कमजोर होने पर सूखा मैनुअल 2016 (संशोधन–2020) के अध्याय–4 में वर्णित कार्रवाईयाँ अपेक्षित होगीं, परन्तु यह भी संभव है कि दक्षिण–पश्चिमी मानसून की स्थिति सामान्य होने पर भी मानसून के दौरान दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न हो तो वैसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि लगाई गई पौध / फसलों को बचाने हेतु निम्न कार्रवाई कर ली जाय जो अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयों के अतिरिक्त होगी (चेकलिस्ट **परिशिष्ट–2** पर संलग्न)।

सारणी –2

क्र0	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग/एजेन्सी	लाईन विभाग/एजेन्सी	समय सीमा
1.	राज्य में फसल आच्छादन/वर्षापात/सिंचित क्षेत्र/भूगर्भ जल की स्थिति आदि के आंकड़ों की गहन समीक्षा करना तथा लिए गए निर्णय के आलोक में सभी संबंधित को तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई के लिये आदेश निर्गत करना।	राज्य कार्यकारिणी समिति/राहत आयुक्त कार्यालय/यू0पी0एस0डी0एम0ए0	जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1 जुलाई से 30 सितम्बर
2.	डीजल अनुदान के माध्यम से लगाये गए पौध/फसलों को बचाने हेतु समुचित उपाय करना।	राहत आयुक्त कार्यालय	जिलाधिकारी/ जिला कृषि अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1 जुलाई से 30 सितम्बर
3.	नहरों के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की कार्रवाई में तेजी लाना एवं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर कठिनाईयों को दूर करना	सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई	जिलाधिकारी/ सिंचाई विभाग व लघु सिंचाई विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1 जुलाई से 30 सितम्बर
4	ट्यूबवेलों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र सिंचित करने हेतु बंद पड़े ट्यूबवेलो की यांत्रिक एवं विद्युत दोष तुरन्त ठीक करना।	सिंचाई विभाग/ ऊर्जा विभाग	जिलाधिकारी/ सिंचाई विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ऊर्जा विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1 जुलाई से 30 सितम्बर
5	ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना	ऊर्जा विभाग/ पावर कॉरपोरेशन	जिलाधिकारी/ ऊर्जा विभाग/ एम0डी0 पावर कॉरपोरेशन व पावर कॉरपोरेशन के जिला स्तरीय अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1 जुलाई से 30 सितम्बर
6	पेयजल संकट से निपटने हेतु त्वरित कार्रवाई करना	जलनिगम/नगर निगम	जिलाधिकारी/जलनिगम के जिला स्तरीय अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1 जुलाई से 30 सितम्बर

मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली परिचालन प्रक्रिया : (Action to be Taken if There is an Early Withdrawl of Monsoon)

दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान यह संभव है कि मानसून की समय पूर्व वापसी हो जाए। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित जनपदों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि की व्यवस्था करने, सिंचाई, पेयजल, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख–रखाव करने, इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार सूखा मैनुअल 2016 (संशोधन–2020) के अध्याय–4 एवं 5 में अंकित कार्रवाईयों के अतिरिक्त निम्न कार्रवाईयों की आवश्यकता होगी। इस दौरान राहत कार्य संचालित किये जाने की आवश्यकता होगी। संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे (चेकलिस्ट **परिशिष्ट–3** पर संलग्न)।

सारणी 3

क्र0	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
1.	**पेयजल (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा पशु संसाधनों के लिए) आपूर्त्ति** ● सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्त्ति हेतु पूर्व में लगाये गये हैण्डपम्पों / नलकूपों की मरम्मत करना। ● आवश्यकताओं का आंकलन कर पुराने हैण्डपम्पों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने की व्यवस्था करना। ● जरूरत के अनुसार नये नलकूप / हैण्डपम्प लगाना। ● पाइप जलापूर्त्ति योजनाओं के लिए उर्जा विभाग से समन्वय कर विद्युत आपूर्त्ति कराना। ● जरूरत के अनुसार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना । ● ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की व्यवस्था करना। ● सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप रखना ताकि कहीं खराबी आने पर उसे तुरंत बदलकर जलापूर्त्ति चालू रखा जा सके। ● टैंकर एवं ट्रैक्टर पर पी0वी0सी0 टैंकों को भरने के लिए हाइड्रेंट का निर्माण करना। ● कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाईन की व्यवस्था करना। ● इस संबंध में पेयजल हेतु बनाई गयी कार्ययोजना को क्रियान्वित किया जायेगा। (पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाए जाने वाली कार्ययोजना को बनाकर इसे जलनिगम द्वारा राहत की वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जायेगा। ● शहरी अथवा नगर पंचायत क्षेत्रों में जलापूर्त्ति की शिकायत दर्ज करने एवं समस्या के त्वरित निष्पादन हेतु हेल्पलाइन की व्यवस्था करना।	जल निगम / ग्राम्य विकास (ग्रामीण क्षेत्र) / नगर विकास विभाग (शहरी क्षेत्र) / पंचायत राज विभाग	जिलाधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2.	**वैकल्पिक / आकस्मिक फसल योजना** ● पूर्व से तैयार आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन करना। ● किसानों को आकस्मिक फसल योजना में निहित उपायों को इस्तेमाल करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना।	कृषि विभाग	जिलाधिकारी / उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3.	**फसल बीमा / कृषि ऋण** ● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि सभी कृषक आच्छादित न हो तो अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित कराया जाएगा। ● कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना।	कृषि विभाग / संस्थागत वित्त विभाग	जिलाधिकारी / उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी / संस्थागत वित्त विभाग के स्थानीय स्तर के अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4.	**डीजल अनुदान वितरण** • पौध एवं फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए डीजल अनुदान उपलब्ध कराना। फसल बचाने के लिए कितनी बार डीजल अनुदान दिया जाय इसका निर्णय राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप किया जायेगा। • अनुदानित बीज का वितरण कराने की व्यवस्था करना। • कृषि सुझावो / बुलेटिन का समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों से प्रभावित कृषकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कराना।	राज्य कार्य कारिणी समिति / राहत आयुक्त कार्यालय / कृषि विभाग	जिलाधिकारी / जिला कृषि अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5.	**वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था** • सिंचाई हेतु अधिष्ठापित सभी ट्यूबवेलों को कार्यरत रखना। ससमय आवश्यक मरम्मत कराना। ट्यूबवेलों के विद्युत एवं यांत्रिक दोषों को भी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। **ग्रामीण क्षेत्रों (अति प्रभावित) के लिए पर्याप्त (कम से कम 8 घंटे) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। सिंचाई आदि के लिए आवश्यक है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रो में जल का समुचित प्रबंधन किया जाए :–** • विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा– उद्योग, कृषि आदि में जल की मांग का आंकलन करना। • किसानों को सिंचाई के लिये नहर से आच्छादित क्षेत्रों में टेल तक पानी पहुंचाना तथा निगरानी रखना ताकि पानी के दुरूपयोग को बचाया जा सके।	सिंचाई / लघु सिंचाई / पावर कारपोरेशन	जिलाधिकारी / सिंचाई / लघु सिंचाई / पावर कारपोरेशन विभाग के स्थानीय अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
6.	**खाद्यान्न सुरक्षा** • खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा खाद्य संबंधी अन्य स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्न की उपलब्धता एवं इसके उठान का अनुश्रवण करना। • मुफ्त राहत वितरण हेतु खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था करना। • केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करना। • खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि पर सतत् निगरानी करना। मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि से राज्य सरकार को अवगत कराना। • मूल्य वृद्धि रोकने हेतु जमाखोरी, काला बाजारी आदि पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना।	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	जिलाधिकारी / जिला आपूर्ति अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
7.	**पशु संसाधन की देखभाल** • पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • चिन्हित पशु शिविरों में जल की व्यवस्था करना। • पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण करना। एंटी–बायोटिक्स, एनालजेसिक, पारासिटामोल, एंटी–हिस्टास्टामिनिक, एंटी–डायरियल, लीवर टॉनिक, नॉरमल सलाईन आदि का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।	पशुपालन विभाग	जिलाधिकारी / मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

8.	**विद्युत आपूर्ति** • कृषि एवं अन्य कार्यों जैसे पम्प, नहर योजनाएँ, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएँ एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। • सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग समय निर्धारित करते हुए इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना।	ऊर्जा विभाग / पावर कारपोरेशन	जिलाधिकारी / ऊर्जा विभाग / पावर कारपोरेशन के जिला स्तरीय अधिकारी
9.	**सूचना प्रबंधन एवं मीडिया के साथ समन्वय** सूखा आपदा के पूर्व सूखा के संकेतकों एवं आपदा के समय कृषि विभाग के द्वारा फसलों के बचाव आदि से संबंधित बुलेटिन जारी किया जाना। समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना।	राहत आयुक्त कार्यालय / कृषि विभाग / सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	जिलाधिकारी / कृषि विभाग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी

सूखा की घोषणा के पश्चात् की जाने वाली परिचालन प्रक्रियाः

प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने के उपरांत उन क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाईयाँ निम्नानुसार की जाएगीः–

1. अधिसूचित जिलों में सूखा से निपटने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (NDRF) से दी जानेवाली सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगें। SDRF/ NDRF से दी जानेवाली सहायता के मानक पर अंकित हैं।

2. घोषित सूखाग्रस्त जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व कर एवं अन्य शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली उस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित रहेगी।

3. वित्त विभाग / संस्थागत वित्त के सहयोग से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण की वसूली हेतु पुनर्निर्धारण हेतु अनुरोध किया जाएगा।

4. जहाँ सूखा के दौरान रिस्पॉस एवं राहत की आवश्यकता पड़ती है, वहीं सूखा की घोषणा के पश्चात् दीर्घकालीन राहत के कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतएव सूखा की घोषणा के पश्चात् आवश्यकतानुसार अध्याय 6 में अंकित कार्रवाईयों के अतिरिक्त निम्न कार्रवाईयॉ अपेक्षित होगी (चेकलिस्ट **परिशिष्ट–4** पर संलग्न)

सारणी–5

क्र0	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग / एजेन्सी	लाईन विभाग / एजेन्सी
1	क्षति से प्रभावित किसानों की सूची तहसील के नोटिस बोर्ड / जनपद की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। तदुपरान्त SDRF के मानकों के अनुसार कृषि निवेश अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में कोषागार द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरण किया जाएगा।	राजस्व विभाग	एस0डी0एम0 / तहसीलदार / लेखपाल

2	**फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान** यदि क्षतिग्रस्त फसलें, फसल बीमा से आच्छादित हों तो कृषि विभाग द्वारा यथाशीघ्र विभागीय योजनानुसार फसल बीमा की राशि बीमा कम्पनी से भुगतान हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।	कृषि विभाग	जिलाधिकारी/ कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
3	**किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आगामी फसल की बुआई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना कर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/ कृषि विभाग	जिलाधिकारी/जिला कृषि अधिकारी/ जिला स्तरीय बैंकर्स समिति
4	**बैंक ऋणों का पुनर्निधारण (Rescheduling of Bank Loan)** राष्ट्रीयकृत एवं सहकारिता बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण की वसूली का पुनर्निर्धारण (Re-Scheduling) करवाना।	वित्त विभाग/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/सहकारिता विभाग	जिलाधिकारी/ जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति
5	**पशु संसाधन की देखभाल** • पशु शिविरों को आवश्यकतानुसार संचालित करना। • दुधारू पशु/गैर दुधारू पशु, बकरी इत्यादि के लिये चारा/ ओरल रिहाइड्रेशन हेतु आवश्यक दवाओं/ एलेक्ट्रालाईट पैकेट का वितरण सुनिश्चित करना।	पशुपालन/मत्स्य विभाग	जिलाधिकारी/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी

	• कुक्कुट/पौल्ट्री इत्यादि हेतु आवश्यक दवा और चारे की व्यवस्था करना। • मत्स्य पालकों के लिये मत्स्य बीज और तालाबों में पानी की व्यवस्था और दवाओं का समुचित प्रबंधन करना। • मृत पशुओं के शवों का सुरक्षित निपटान (विसर्जन) करना। • पशु चिकित्सकों/अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की शिविरों में ड्यूटी लगाना।		
6	**स्वास्थ्य सेवाएँ** • प्रभावित जिले में मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट का गठन करना। प्रत्येक जनपद में सूखा की अवधि तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन एक मॉनीटरिंग सेल/कन्ट्रोल रूम का गठन होगा जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। • सूखा के समय संवेदनशील (Vulnerable) समूह यथा विकलांग, बच्चे, गर्भवती महिलायें, तथा वृद्ध व्यक्तियों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना।	स्वास्थ्य विभाग	जिलाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
7	**महामारी की रोकथाम** सूखा के पश्चात् सूखा प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना के आलोक में महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोधात्मक उपाय करना।	स्वास्थ्य विभाग	जिलाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी /जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
8	**महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल** • सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था करना। इसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों से आच्छादित बच्चे तथा	समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग	जिला अधिकारी/ समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग के जिला

	वैसे बच्चे, गर्भवती एवं धातृी (दाई) महिला जो आंगनवाड़ी केन्द्रों से आच्छादित न हो पाए हों, शामिल होगें इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि जिलो को उपलब्ध करायी जाएगी। ● प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पैरासिटामोल दवा का रखा जाना। ● इसके अतिरिक्त जहाँ–जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं हो वहाँ आशा कार्यकत्री के द्वारा यह व्यवस्था करना। ● प्रभावकारी एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु नियमित एवं विधिवत अनुश्रवण करना।		स्तरीय अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
9	**सामाजिक सुरक्षा** ● चयनित वृद्धावस्था पेंशनधारियों का नियमित भुगतान, अभियान चलाकर किया जाना। ● छूटे हुए योग्य वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का चयन अभियान चलाकर किया जाना।	समाज कल्याण विभाग	जिलाधिकारी / समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
10.	**मध्याह्न भोजन की व्यवस्था** ● जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण एवं उपलबध्ता सुनिश्चित कराना। इस कार्य के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता किया जाना।	शिक्षा विभाग / खाद्य एवं रसद विभाग	जिलाधिकारी / शिक्षा विभाग / खाद्य एवं रसद विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
11	**रोजगार सृजन** ● सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कार्यक्रम में वृद्धि करना। ● ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत परियोजनाओं के बैंक ऑफ	ग्राम्य विकास विभाग	जिलाधिकारी / ग्राम्य विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी

	सैंक्शंस का कियान्वयन करवाना, जिसमें जल संरक्षण की योजना यथा– तालाब, पोखर, चेक डैम, डगबेल, मेड़बंदी तथा वृक्षारोपण इत्यादि की परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। ● रोजगार सृजन हेतु मनरेगा को व्यापक रूप से कार्यान्वित करना। अन्य संबंधित विभाग द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराना।		
12.	**राहत कार्य** ● राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत वितरण का निर्णय आवश्यकतानुसार लिया जाएगा। राहत का वितरण SDRF के मानक के अनुसार आवश्यकतानुसार प्रारंभ किया जाएगा। ● वृद्ध, विधवा, विकलांग, निराश्रित (Destitute) असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता से राहत वितरण किया जाएगा।	राजस्व विभाग / राहत आयुक्त कार्यालय	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
13.	**अनुश्रवण** **जिला स्तरः** ● जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में सूखा राहत कार्य चलाए जायेगें। ● सूखा के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 X 7 क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसके दूरभाष संख्या को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में रोस्टर में अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगायी जायेगी। ● जिलाधिकारी के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सूखा से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का	राज्य कार्यकारिणी समिति / राजस्व विभाग / राहत आयुक्त कार्यालय / उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) / जिला स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारी / राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से संबंधित सभी विभाग

	साप्ताहिक अनुश्रवण करेगी। **राज्य स्तर परः** • राहत आयुक्त कार्यालय में राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष 24 X 7 क्रियाशील रहेगा। • उर्जा विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाएंगे जो 24 X 7 क्रियाशील रहेंगे। • राज्य स्तर पर गठित सूखा अनुश्रवण समिति निरंतर क्रियाशील रहेगी तथा सूखाग्रस्त जनपदों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत् अनुश्रवण करेगी। **उपर्युक्त के आलोक में संबंधित विभाग विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर अपने स्तर से आदेश निर्गत करेगें।**		
14	**राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र** राहत कार्यों के लिए निधि का आवंटन राज्य आपदा मोचक निधि से किया जाता है। अतएव राहत कार्यों में खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र भेजने की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए पूरी धनराशि व्यय होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी अपितु निर्धारित तिथि तक जितनी राशि व्यय हो चुकी हो उतनी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाएगा।	राजस्व विभाग (राहत आयुक्त कार्यालय)	जिलाधिकारी / संबंधित विभाग / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
15	**सूचना एवं मीडिया का प्रबंधन** सूखा के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सूचनाओं को प्रसारित करने हेतु मीडिया को जानकारी देना।	राजस्व विभाग (राहत आयुक्त कार्यालय) / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	जिलाधिकारी / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी
नोटः उपरोक्त कार्रवाईयों में होने वाला व्यय SDRF के अंतर्गत अनुमन्य होने की दशा में धनराशि का आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। किन्तु जो व्यय SDRF के अंतर्गत अनुमन्य न होगा, उसकी व्यवस्था संबंधित विभाग अपने विभागीय बजट से करेगें।			

भाग–8

पुनरीक्षण एवं सूखा न्यूनीकरण हेतु उपाय

- कृत कार्रवाइयों का पुनरीक्षण (Review) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)
- सूखा न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाईयां

भाग–8: पुनरीक्षण एवं सूखा न्यूनीकरण हेतु उपाय

कृत कार्रवाइयों का पुनरीक्षण (Review) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)

सूखा की समाप्ति के पश्चात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में सूखा के दौरान विभिन्न विभागों/एजेन्सयों के द्वारा कृत कार्रवाइयों का पुनरीक्षण (Review) करते हुए भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt) ग्रहण की जाएगी। इन बैठकों में संबंधित विभाग/एजेन्सियाँ पुनरीक्षण करते हुए कृत कार्रवाइयों का गहन विश्लेषण करेगीं जिनसे भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके। इस प्रकार इन सीखों का उपयोग करते हुए आगामी वर्षों में सूखा प्रबंधन के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सूखा प्रभावित जनपद सूखे की स्थिति की आख्या राहत आयुक्त कार्यालय/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजेंगे।

सूखा न्यूनीकरण (दीर्घकालीन) हेतु की जाने वाली गतिविधियॉ

सूखा न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाईयां

सूखा धीमी गति (Slow Onset) से आने वाली आपदा है, परन्तु इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके न्यूनीकरण हेतु लगातार प्रयास किए जायें, जिसमें निम्न कार्रवाईयाँ की जायें :–

सारणी–6

क्र0	कार्रवाईयाँ	नोडल विभाग/ एजेन्सी	लाईन विभाग/एजेन्सी
1.	**कृषि क्षेत्र :**		
	सूखारोधी फसलों, बीजों तथा सिंचाई की कम आवश्यकता वाली फसलों का प्रोत्साहन।	कृषि विभाग	जिलाधिकारी/जिला/ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी
	फसल विविधीकरण।		
	कृषि रोड मैप में सूखा न्यूनीकरण के उपायों का समावेश।		
	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रोत्साहन।		
2.	**पशुपालन क्षेत्र :**		
	पशुओं का नियमित बीमा।	पशुपालन विभाग	जिलाधिकारी/जिला/ब्लॉक स्तर के पशुपालन विभाग के अधिकारी
	पशुओं का नियमित टीकाकरण एवं चारे/भूसे की व्यवस्था करना।		
3.	**स्वास्थ्य क्षेत्र :**		
	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा का प्रोत्साहन।	स्वास्थ्य विभाग	जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय की व्यवस्था।		
4.	**जल संसाधन क्षेत्र :**		
	परम्परागत जलस्रोतों की डीसिल्टिंग व संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।	ग्राम्य विकास व लघु सिंचाई विभाग	जिलाधिकारी/जिले में तैनात ग्राम्य विकास व लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी
	सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों यथा तालाब, पोखर, कुआं आदि को रिचार्ज करने हेतु ताल का संबंध	सिंचाई / लघु सिंचाई विभाग	जिलाधिकारी/जिले में तैनात सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग

	पाताल से करने के कदम उठाये जायेंगे।		के अधिकारी
	परम्परागत जलस्रोतों के शुद्धिकरण के पश्चात रखरखाव की व्यवस्था।	सिंचाई / लघु सिंचाई विभाग / वन एवं पर्यावरण विभाग	जिलाधिकारी / वन विभाग के अधिकारी / जिले में तैनात सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग / कृषि विभाग के अधिकारी
	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वानिकी योजनाओं का प्रोत्साहन।		
	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम का निर्माण।		
	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण (Rainwater Harvesting) की विधि को प्रोत्साहन।		
	सभी हितभागियों का संवेदीकरण (Sensitization) ।	उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5.	**पेयजल :**	जल निगम / भूगर्भ जल विभाग	जिलाधिकारी / जल निगम के जिला स्तरीय अधिकारी
	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान करना जहॉ भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है।		
	पेयजल के समुचित रख–रखाव व उसके सुरक्षित उपयोग के लिये समुदाय को जागरूक किया जायेगा।		
	जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये जनजागरूकता अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जायेगा।	कृषि, वन एवं पर्यावरण विभाग / उद्यान ग्राम विकास विभाग	जिलाधिकारी / कृषि, वन एवं पर्यावरण विभाग / उद्यान ग्राम विकासविभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
	भूगर्भ जल एवं सतही जल संरक्षण हेतु योजना तैयार करना।	भूगर्भ जल संसाधन विभाग / जल निगम	जिला अधिकारी / लघु जल संसाधन विभाग / ग्राम्य विकास / कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
	लघु सिंचाई व भूगर्भ जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चलायी जा रही भूजल सिंचाई से संबधित योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं सूखा के लिए युद्धस्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।	लघु सिंचाई व भूगर्भ जल संसाधन विभाग	जिलाधिकारी / लघु सिंचाई व भूगर्भ जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी

भाग—9

सूखा प्रशमन

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- आर0ए0डी0पी0 योजना (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)
- उद्यान विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रिया—कलाप
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भाग–9: सूखा प्रशमन

सूखा प्रशमन

सूखा एक प्राकृतिक खतरा है जिसे घटित होने से रोका नही जा सकता है परन्तु उचित प्रबंधन से इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। सूखा की स्थिति धीरे–धीरे विकसित होती है इसीलिये सूखे की तबाही के जोखिम को कम करने के लिये प्रशमन उपायों की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य मृदा क्षरण को कम करना, मृदा नमी बढ़ाना, वर्षा जल के सतही बहाव को रोकना तथा जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना है। इसमें मृदा और जल संरक्षण के उपाय और कृषि प्रणाली भी शामिल है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सूखा प्रशमन से संबंधित राज्य/केन्द्र की योजनाओं का विवरण निम्नवत हैः–

योजना का नाम–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

क्र0	विभाग का नाम	योजना/घटक	कार्यकलाप
1	कृषि विभाग (नोडल विभाग)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	
1.1	सिंचाई विभाग	ए0आई0बी0पी0	सिंचाई हेतु मध्यम एवं बड़े आकार की सिंचाई नहर परियोजनाओं का संचालन।
1.2	सिंचाई विभाग (काडम)	हर खेत का पानी	नये जल स्त्रोतो का विकास, सिंचाई जल वितरण प्रणाली को विकसित करना, जल बाहुल्य क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल पहुचाना आदि कार्यों का संचालन।
1.3	लघु सिंचाई विभाग		
1.4	कृषि विभाग	पर डॉप मोर क्रॉप–अदर इंटरवेंशन	छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर जल संरक्षण, जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने, भूमि जल स्तर को ऊपर उठाने आदि कार्या के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना का संचालन।
1.5	उद्यान विभाग	पर डॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन	जल के समुचित उपयोग हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करना।
1.6	कृषि विभाग	जलागम विकास	वर्षा आश्रित क्षेत्रों में नमी संरक्षण के लिये जलागम प्रबन्धन कर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
1.7	परती भूमि विकास विभाग	जलागम विकास	

आर0ए0डी0पी0 योजना (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)

आर0ए0डी0 योजना कृषि के एकीकृत बहुघटकों जैसे कि फसल, बागवानी, पषुधन, मछलीपालन, कृषि आधारित आय सृजित करने वाली गतिविधियों के साथ वानिकी और मूल्य सम्वर्द्धन द्वारा कृषकों का विकास करेगी। कृषकों को मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बनाने के उद्देष्य से प्रदेष के 19 अर्द्धशुष्क जनपद (Semi-Arid Districts) एवं 16 अर्द्ध आर्द्र (Sub Humid districts) कुल 35 जनपदों में वर्ष 2014–15 से संचालित है।

1–एकीकृत फसल पद्धति (IFS) – अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी 2 हे0 तक सीमित सभी पद्धतियों में रू0 10000प्रति हे0 फसल प्रणाली की लागत सम्मिलित है।

क	पशुधन आधारित (छोटे पशु/पक्षी)	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0–25000/हेक्टर (दस पशु/50 पक्षी + 1हेक्टर फसल प्रणाली) तक सीमित ।
ख	दुग्ध आधारित	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0–40000/हेक्टर (दो दुधारू पशु + 1हेक्टर फसल प्रणाली) तक सीमित।
ग	उद्यान आधारित	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0–25000/हेक्टर (उद्यानीकरण + 1हेक्टर फसल प्रणाली) तक सीमित।
घ	वानिकी आधारित	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0–15000/हेक्टर (वानिकीकरण + 1हेक्टर फसल प्रणाली) तक सीमित।
य	मत्स्य पालन आधारित	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0–25000/हेक्टर (मत्स्य पालन + 1हेक्टर फसल प्रणाली) तक सीमित।

2. मूल्य संवर्धनः–

क	मधुमक्खी पालन	लागत का 40प्रतिशत अधिकतम रू0–16000/– तक अनुदान (आठ फ्रेम का कालोनी बॉक्स / रू0–800/–की दर से अधिकतम 20 कालोनी)
ख	पालीहाउस/लोटनल पाली हाउस	लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0–2.65 लाख (रू0–530/– प्रति वर्गमी0 500 वर्ग मी0 क्षेत्र हेतु)
ग	साइलेज	लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रू0–1.25 लाख अनुदान (रू0 50 प्रति घन फीट अधिकतम 2500 घन फीट आकार हेतु)
घ	पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0–2.00 लाख अनुदान रू0 4000/वर्ग मी0(अधिकतम 50 वर्ग मी0 आकार हेतु)
ड़	वर्मी कम्पोस्ट	
	स्थायी	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0–50,000/– इकाई (रू0 125/घन फीट अधिकतम 400 घन फीट आकार हेतु)
	अस्थायी	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0–8,000/– इकाई

- *नोटः–एक कृषक परिवार को पूरे योजनाकाल में अधिकतम रू0 1.00 लाख का ही लाभ अनुमन्य होगा।*

स्रोत–कृषि निदेशक के पत्रांक–PMKSY/02/2022-23 दिनांक 12 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त।

उद्यान विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रिया–कलाप

क्र0	योजना/घटक	कार्यकलाप
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्राप मोर क्राप" उद्यान घटक	भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप–माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों में अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग में यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। जिसके अन्तर्गत बागवानी फसलों पर ड्रिप सिंचाई पद्धति के अन्तर्गत समान्य एवं लघु सीमान्त कृषकों को अधिकतम 80 एवं 90 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	यह योजना प्रदेश के 30 जनपदों यथा गौतमबुद्ध नगर, बागपत, शामली, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, सम्भल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, एटा कासंगज, अलीगढ़, फिरोजाबाद, औरैया, कारपुर देहात, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चन्दौली, आजमगढ़, मऊ एवं देवरिया में लागू है, जिसके अन्तर्गत संकर शाकभाजी फसल उत्पादन पर उत्पादन लागत रू0 50,000/– पर अधिकतम 40 प्रतिशत अर्थात रू0 20,000/– प्रति हे0 अनुदान अनुमन्य है। जिसमें कम सिंचाई वाली कद्दू वर्गीय फसलें सम्मलित हैं।
3.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लिए औद्यानिक विकास	यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों को संकर शाकभाजी फसलों की खेती पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
4.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राष्ट्रीय बागवानी मिशन)	यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों यथा सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, सन्तकबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, हाथरस, कारपुर नगर, अयोध्या, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत शाकभाजी फसलों की खेती पर निजी क्षेत्र में कृषकों को अनुमन्य इकाई लागत रू0 35,000/– का अधिकतम 35 प्रतिशत (रू0 12,250/–) अनुदान अनुमन्य है।
5.	सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार वेजीटेबल्स एण्ड फ्रूट्स	विभाग के अन्तर्गत औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती तथा उमर्धा, कन्नौज के अन्तर्गत शाकभाजी फसलों यथा कद्दूवर्गीय (खीरा, ककड़ी, लौकी, तरोई, कद्दू, करेला, खरबूजा, तरबूज आदि) फसलों के उच्च कोटि के बेहन तैयार कर इच्छुक कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।
6.	मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार वेजीटेबल्स	प्रदेश के जनपद बहराइच, फतेहपुर, मऊ, हापुड़, अलीगढ़, रामपुर, अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार वेजीटेबल्स स्थापित किये गये हैं। इच्छुक कृषकों को उचित मूल्य पर सब्जी पौध

		उपलब्ध कराया जाता है।
7.	राज्य आयुष मिशन	यह योजना प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 30 से 40 प्रतिशत तक अनुदान देय है। असिचिंत क्षेत्रों में कम वर्षा के दृष्टिगत मुख्य रूप से सतावरी पौध उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न स्रोतो से पानी की कम उपलब्धता क्षेत्रों में तुलसी, कालमेघ, ब्राह्मी व अन्य औषधीय फसलें उगाया जा सकता है।
8.	बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजनान्तर्गत	बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजनान्तर्गत फलों (नीबूवर्गीय, बेर, बेल, आंवला, अनार आदि) की खेती पर रू0–3000 प्रति हे0 प्रति माह प्रति कृषक 36 माह तक कुल रू0–108000 संन्तोषजनक कार्य पाये जाने पर अनुमन्य है।

स्रोत– निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्रांक–21/2022-23 दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

1. उद्देश्य, कार्यक्षेत्र व कवर किये गये जोखिम–

प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्रामपंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है। योजना में निम्न जोखिमों को कवर किया गया हैः–

- **i.** प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति,
- **ii.** खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा–सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों–रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति,
- **iii.** फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति,
- **iv.** खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति,
- **v.** फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति।

युद्ध, दुर्भावनापूर्ण क्षति व रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों से क्षति को योजना में कवर नहीं किया गया हैं।

2. सम्मिलित कृषकः–

योजना ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों हेतु स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है। ऋणी किसानों हेतु योजना Opt-out mode पर लागू है। ऋणी किसान बीमा कराने की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर के 07 दिन पहले तक योजना में प्रतिभाग नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। यदि बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक अनिवार्य रूप से कवर नहीं होगा, अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिए लिये गये फसली ऋण पर नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी। कृषकों द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/निकटतम

कामन सर्विस सेन्टर/सीधे बीमा कम्पनी अथवा भारत सरकार के आनलाइन पोर्टल– www.pmfby.gov.in के माध्यम से उल्लिखित अन्तिम तिथियों तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

3. बीमित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदानः–

कृषकों द्वारा ग्रामपंचायत स्तर पर खरीफ में फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, मूँगफली, सोयाबीन व तिल तथा रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही–सरसों, अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है। सभी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर को खरीफ में बीमित राषि के 2 प्रतिशत तथा रबी में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत तथा खरीफ/रबी की वार्षिक नगदी फसल हेतु बीमित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जायेगा। परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढ़ी हुई सम्पूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4. बीमा कवरेज हेतु निर्धारित तिथियाँः–

कृषक द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर की अन्तिम तिथि तक बीमा कराया जा सकता है।

5. फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति का भुगतान–

योजना में फसलों की क्षति का आँकलन मौसम के अन्त में ग्रामपंचायतों में अधिसूचित फसलों पर सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाता है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्रामपंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप कृषकों को बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देय होती है।

उपरोक्त स्थितियों में फसलों की क्षति का आंकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानिक आपदाओं–ओलावृष्टि, जलभराव व भूस्खलन से क्षति की स्थिति में व फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में सुखाई हेतु रखी कटी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इन स्थितियों में प्रभावित कृषकों को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर स्वयं, अपने बैंक शाखा अथवा जनपद के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

फसल की मध्य अवस्था तक ग्रामपंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक उपज में क्षति की स्थिति में कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक आंशिक क्षतिपूर्ति तात्कालिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तात्कालिक सहायता की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर आंकलित कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाता है। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है।

6. अधिकृत बीमा कम्पनियाँ–

वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के खरीफ व रबी मौसम में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत प्रदेश में 04 बीमा कम्पनियों–एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 (37 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 (08 जनपद), इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (10 जनपद), यूनिर्वसल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (20 जनपद) ;कुल 75 जनपद) को अधिकृत किया गया है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

1. उद्देश्यः—

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों—कम व अधिक तापमान, कम व अधिक वर्षा, तेज हवा, आर्द्रता से फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. कार्यक्षेत्र व बीमित फसलें—

क्र0 सं0	मौसम	फसल का नाम	चयतिन जनपदों के नाम
1.	खरीफ	केला	बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, लखनऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज, महराजगंज, देवरिया, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, शाहजहाँपुर, कानपुर नगर, बलरामपुर, बलिया व गाजीपुर **(19 जनपद)**।
2.	खरीफ	मिर्च	बाराबंकी, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, कौशाम्बी, वाराणसी, बदाँयू, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, रायबरेली, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर व बलरामपुर **(19 जनपद)**।
3.	खरीफ	पान	उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, ललितपुर, हरदोई व लखनऊ **(07 जनपद)**
4.	रबी	टमाटर	आगरा, बाराबंकी, एटा, अयोध्या, कानपुर नगर, मैनपुरी, उन्नाव, सीतापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, अम्बेडकरनगर, सोनभद्र, बलिया, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, हमीरपुर, कन्नौज, बलरामपुर, सहारनपुर, शामली, बुलन्दषहर व हापुड़ **(23 जनपद)**।
5.	रबी	षिमला मिर्च	फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बदायूँ, बरेली व शाहजहाँपुर **(05 जनपद)**।
6.	रबी	हरी मटर	बाराबंकी, बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर, एटा, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, बहराइच, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया, कासगंज, कानपुर नगर व कन्नौज **(18 जनपद)**।
7.	रबी	आम	सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी व बलरामपुर **(14 जनपद)**।

योजना के अन्तर्गत कुल 51 जनपद सम्मिलित।

3. बीमा की इकाईः

योजना में बीमित फसलों की क्षति का आंकलन ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जाता है। योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लाक में दो स्वचालित मौसम केनद्र स्थापित कराये गये हैं।

4. सम्मिलित कृषक— खरीफ 2020 से सभी कृषकों हेतु योजना को **स्वैच्छिक आधार पर** लागू किया गया है। बीमा न कराने की स्थिति में ऋणी किसानों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 7 दिन पहले तक लिखित रूप से बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जायेगा।

5. बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदानः

जनपद में फसल की उत्पादन लागत के बराबर बीमित राशि निर्धारित की गयी है। कृषक द्वारा औद्यानिकी फसलों हेतु बीमित राशि के अधिकतम 05 प्रतिशत तक प्रीमियम दर को वहन किये जाने का प्राविधान है।

कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर से अधिक प्रीमियम दर की समस्त धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता है।

6. फसलवार बीमा कराने की अन्तिम तिथि :–

केला – 30 जून, **मिर्च** – 31 जुलाई, **पान–** 30 जून, **टमाटर** – 30 नवम्बर, **शिमला मिर्च** – 30 नवम्बर, **हरी मटर** – 14 सितम्बर, **आम** – 15 दिसम्बर।

7. **फसलों की क्षति का आंकलन** :– जनपद के चयनित ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर क्षति का ऑकलन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लाक में दो स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिस पर तापमान, वर्षा, आर्दता आदि के प्रतिदिन के आंकड़े एकत्रित होते हैं। आंकड़ों में विचलन के आधार पर फसलवार बनायी गयी टर्मशीट के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है।

8. अधिकृत बीमा कम्पनियाँ–

वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के खरीफ व रबी मौसम में **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत प्रदेश में 04 बीमा कम्पनियों–एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 (26 जनपद), एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 (05 जनपद), इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (6 जनपद), यूनिर्वसल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (14 जनपद) **;कुल 51 जनपद)** को अधिकृत किया गया है।

भाग—10

राज्य आपदा मोचक निधि (S.D.R.F.)
एवं
राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (N.D.R.F.)
से सहायता हेतु मदों
की सूची एवं मानक दरें।
(वर्ष 2015—2020)

(एम0एच0ए0 पत्र संख्या—32—7/2014—एन0डी0एम0—1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015)

राज्य आपदा मोचक निधि (S.D.R.F.) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (N.D.R.F.) से सहायता हेतु मदों की सूची एवं मानक दरें।

(एम0एच0ए0 पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015)

क्रम सं0	मद	सहायता की मानक दरें
1	**कृषि (Agriculture)**	
(i)	**02 हेक्टेयर तक भूमि के स्वामित्व वाले कृषकों हेतु सहायता (Assistance Farmers Having Land Holding Up To 2 ha)**	
(अ)	**कृषि निवेश अनुदान (Agriculture Input Subsidy) (जहॉं पर फसल का नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो)।**	
	(क) कृषि फसलों, हॉर्टिकल्चर फसलों और वार्षिक फसलों के लिये (For Agriculture Crops, Horticulture Crops And Annual Plantation Crops)	❖ रू0 6,800/– प्रति हैक्टेयरः असिंचित क्षेत्र में और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। ❖ रू0 13,500/– प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में, न्यूनतम सहायता राशि रू0 1,000/– से कम नही दी जाएगी और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित।
	(ख) बारहमासी फसलें (Parennial Crops)	❖ रू0 18,000/– प्रति हैक्टेयर : सभी प्रकार की बारहमासी फसलों (Parennial Crops) के लिये। न्यूनतम सहायता राशि रू0 2,000/– से कम नही दी जाएगी और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित।
	(ग) रेशम उत्पादन (Sericulture)	❖ 4,800/– प्रति हैक्टेयर : इरी, मलबरी, और टसर के लिये। ❖ रू0 6,000/– प्रति हैक्टेयर मूंगा के लिये।
(ii)	**02 हेक्टेयर से अधिक भूमि के स्वामित्व वाले कृषकों हेतु सहायता** (Inpurt Subsidy to Farmers Having More Than 2 ha Of Land Holidngs)	❖ रू0 6,800/– प्रति हैक्टेयरः असिंचित क्षेत्र में और सिर्फ बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। ❖ रू0 13,500/– प्रति हैक्टेयर : सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के लिये और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। ❖ रू0 18,000/– प्रति हैक्टेयर : सभी प्रकार की बारहमासी फसलों (Parennial Crops) के लिये और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। 02 हैक्टेयर प्रति कृषक सीलिंग की शर्त के साथ जहॉं फसल नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक है, यह सहायता दी जा सकेगी।
2	**पशुपालन–लघु और सीमान्त कृषकों को सहायता।** (Animal Husbandry Assistance to Small and Marginal Farmers)	
	(i) दुधारू, कृषि भारवाहक पशु का प्रतिस्थापन (Replacement of Milch Animals, Drought Animals or Animals Used For Haulage.)	**दुधारू पशु** (Milch Animals)– **रू0 30,000/–** भैंस/गाय/ऊॅंट/याक/ मिथुन आदि। **रू0 3,000/–** भेड़/बकरी/सुअर । **गैर दुधारू पशु** (Drought Animals)– **रू0 25,000/–** ऊॅंट/घोड़ा/बैल आदि **रू0 16,000/–** Calf (गाय या भैंस का बछड़ा)/गधा/टट्टू/खच्चर) ❖ देय सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं की क्षति के लिए ही सीमित होगी। इस सहायता को देने

		में प्रति परिवार अधिकतम 03 बड़े दुधारू पशु या 30 छोटे दुधारू पशु या 03 बड़े गैर दुधारू पशु या 06 छोटे गैर दुधारू पशु की सीलिंग लागू होगी। चाहे प्रति परिवार अधिक संख्या में पशु क्षति हुई हो। (क्षति का प्रमाणीकरण, राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।) **कुक्कुट** (Poultry)- ❖ रू0 50/— प्रति पक्षी की दर से। प्रति लाभान्वित परिवार को अधिकतम रू0 5,000/— की सीलिंग तक सहायता देय होगी। कुक्कुट की क्षति प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप होनी चाहिये। नोटः किसी अन्य सरकारी योजना में सहायता के उपलब्ध होने पर, उक्त मदों में राहत अनुमन्य नहीं होगी उदाहरणार्थ एवियन इनफ्लुएंजा या ऐसी अन्य कोई बीमारी जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा सहायता की विशिष्ट योजना लागू हो।
	(ii) पशु कैम्पों में चारा/पशु आहार के अतिरिक्त पानी और दवाओं का प्राविधान। (Provision of Fodder/Feed Concentrate Including Water Supply And Medicines In Cattle Cmps.)	❖ बड़े पशु — रू0 70/— प्रति दिन। ❖ छोटे पशु— रू0 35/— प्रति दिन। ❖ राहत देने की समयावधि जैसा कि एस0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आंकलन करें। सहायता की सामान्य समयावधि (Default Period) 30 दिवस तक होगी जिसे प्रथमतः 60 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और गम्भीर सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक किया जा सकता है। स्थानीय स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति उक्त अवधि की तय सीमा को बढ़ा सकती है परन्तु शर्त यह होगी कि इस मद पर होने वाला व्यय एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक आवंटन का 25 प्रतिशत से अधिक न होने पाये। ❖ राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यकता के आंकलन के आधार पर तथा एन0डी0आर0एफ0 से सहायता की दशा में केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुति के आधार पर, पशुओं का आंकलन पशुधन गणना के अनुसार हो तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दवाइयों तथा टीकाकरण की आवश्यकता का प्रमाणीकरण कि यह आवश्यकता आपदा से संबंधित है।
	(iii) पशु कैम्पों के बाहर रहने वाले पशुओं हेतु चारे की ढुलाई (Transport of Fodder to Cattle Outside Cattle Camps)	❖ ढुलाई पर वास्तविक व्यय के आधार पर, जैसा कि राज्य कार्यकारिणी समिति आंकलन करें और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आंकलन करे। पशुओं का आंकलन पशुधन गणना के अनुसार हो।
3	**मत्स्य पालन** (Fishery)	
	(i) मछुवारों को क्षतिग्रस्त/खोये हुये नावों, जालों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु सहायता —नाव —छोटी डोंगी (Dugout-Canoe)	❖ रू0 4,100/— केवल आंशिक क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत हेतु। ❖ रू0 2,100/— केवल आंशिक क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत हेतु।

	–लट्ठो का बेड़ा (Catamaran) –जाल (Net) (यदि लाभार्थी उक्त आपदा के लिये किसी अन्य सरकारी योजना में अनुदान/सहायता पा चुका है या पाने का पात्र है, तो इस मद से सहायता नहीं दी जायेगी।)	❖ रू0 9,600/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के प्रतिस्थापन हेतु। ❖ रू0 2,600/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन हेतु।
	(ii) मत्स्य बीज फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी (Inpurt Subsidy for Fish Seed Farm)	❖ रू0 8,200/– प्रति हैक्टेयर (कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग की योजनाओं में एकमुस्त अनुदान योजना को छोड़ कर यदि लाभार्थी ने तात्कालिक आपदा में कोई अन्य सहायता/अनुदान का उपभोग किया हो/किसी सरकारी योजना में अन्य सहायता/अनुदान हेतु पात्र हो तो यह सहायता अनुमन्य नहीं होगी।)

नोटः– (1) राज्य सरकारें इस बात पर विशेष ध्यान देंगी और सुनिश्चित करेंगी कि व्यक्तिगत लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता आवश्यक/अनिवार्य रूप से बैंक खाते (जैसे–जनधन योजना आदि) के माध्यम से वितरित की जायेंगी।
(2) सभी आपदाओं (राज्य विशिष्ट आपदाओं को सम्मिलित करते हुये) पर विभिन्न मदों के सापेक्ष दी जाने वाली राहत की सीमा एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के मानक मदों से अधिक नही होनी चाहिए। यदि इस सीलिंग से अधिक धनराशि राज्य द्वारा खर्च की जाती है तो वह राज्य सरकार के बजट से व्यय की जायेगी, एस0डी0आर0एफ0 से नही।

नोटः– (2) गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा प्राप्त एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के मानक मदों का हिन्दी अनुवाद/रूपान्तरण अत्यंत सावधानी से किया गया है परंतु फिर भी किसी भ्रम/संशय की दशा में कृपया www.ndmindia.nic.in पर अंग्रेजी में उपलब्ध मूल अभिलेख को अंतिम माना जाये।

परिशिष्ट

अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की चेकलिस्ट

क्र0	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1.	वर्षा की निगरानी		
2.	पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अनुरूप पूर्व तैयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक योजना को अद्यतन करना।		
3.	सूखा की स्थिति हेतु खरीफ फसल के लिये आकस्मिक योजना का सूत्रण तथा आकस्मिक योजना को अद्यतन करना।		
4.	फसल बीमा हेतु जागरूक करना।		
5.	सिंचाई हेतु आकस्मिक योजना तैयार करना।		
6.	खाद्यान्न की उपलब्धता।		
7.	खाद्यान्न चक्रीय स्टॉक (Revolving Stock) के रूप में रखना।		
8.	मानव स्वास्थ्य की देखभाल हेतु की जानेवाली कार्रवाईयों हेतु तैयारियां।		
9.	पशु संसाधन की देखभाल हेतु आकस्मिक योजना तैयार करना।		
10.	रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करना।		
11.	सामाजिक सुरक्षा।		

वर्षा में अन्तराल (02 अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना) के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई की चेकलिस्ट

क्रम	की जाने वाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1	जिलों से प्राप्त फसल आच्छादन/ वर्षापात/ सिंचित क्षेत्र/ भूगर्भ जल की समीक्षा तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिये आदेश निर्गत करना।		
2	डीजल अनुदान के माध्यम से फसलों को बचाने हेतु समुचित उपाय।		
3	नहरों के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की कार्रवाई में तेजी लाना।		
4	ट्यूबवेलो की यांत्रिक एव विद्युत दोष ठीक करना।		
5	रोटेशन पर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना।		
6	पेयजल संकट से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करना।		
7	जिला स्तरीय बैठक में नियमित समीक्षा तथा आकस्मिक योजना के अनुरूप निष्पादन करना।		

मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की चेकलिस्ट

क्रम	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा पशु संसाधनों के लिए पेयजल आपूर्त्ति।		
2	पूर्व से तैयार आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन।		
3	फसल बीमा/कृषि ऋण हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
4	फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए डीजल अनुदान उपलब्ध कराना।		
5	वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
6	खाद्यान्न सुरक्षा हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
7	पशु संसाधन की देखभाल करना।		
8	कृषि एवं अन्य कार्यों जैसे पम्प, नहर योजनाएँ, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएँ एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत आपूर्त्ति सुनिश्चित करना।		
9	सूचना प्रबंधन एवं मीडिया के साथ समन्वय।		

सूखा की घोषणा के पश्चात् की जानेवाली कार्रवाई की चेकलिस्ट

कम	की जाने वाली कार्रवाई	हॉ	नहीं
1	आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर कियान्वयन।		
2	कृषि इनपुट अनुदान वितरण ।		
3	फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान।		
4	किसान केडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण।		
5	बैंकों के माध्यम से कृषकों को के0सी0सी0 एवं अन्य कृषि ऋण मुहैय्या कराना।		
6	पशु संसाधन की देखभाल।		
7	स्वास्थ्य सेवाएँ हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
8	महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोधात्मक उपाय करना।		
9	महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
10	सामाजिक सुरक्षा हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
11	मध्याह्न भोजन की व्यवस्था।		
12	रोजगार सृजन हेतु अपेक्षित कार्रवाई।		
13	मुफ्त साहायता वितरण।		
14	वन अभयारण में पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पेय जल की व्यवस्था करना।		
15	अनुश्रवण।		
16	राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।		
17	कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण एवं भविष्य के लिए सीख।		

जनपदवार केनाल नेटवर्क एवं बेसिन मानचित्र

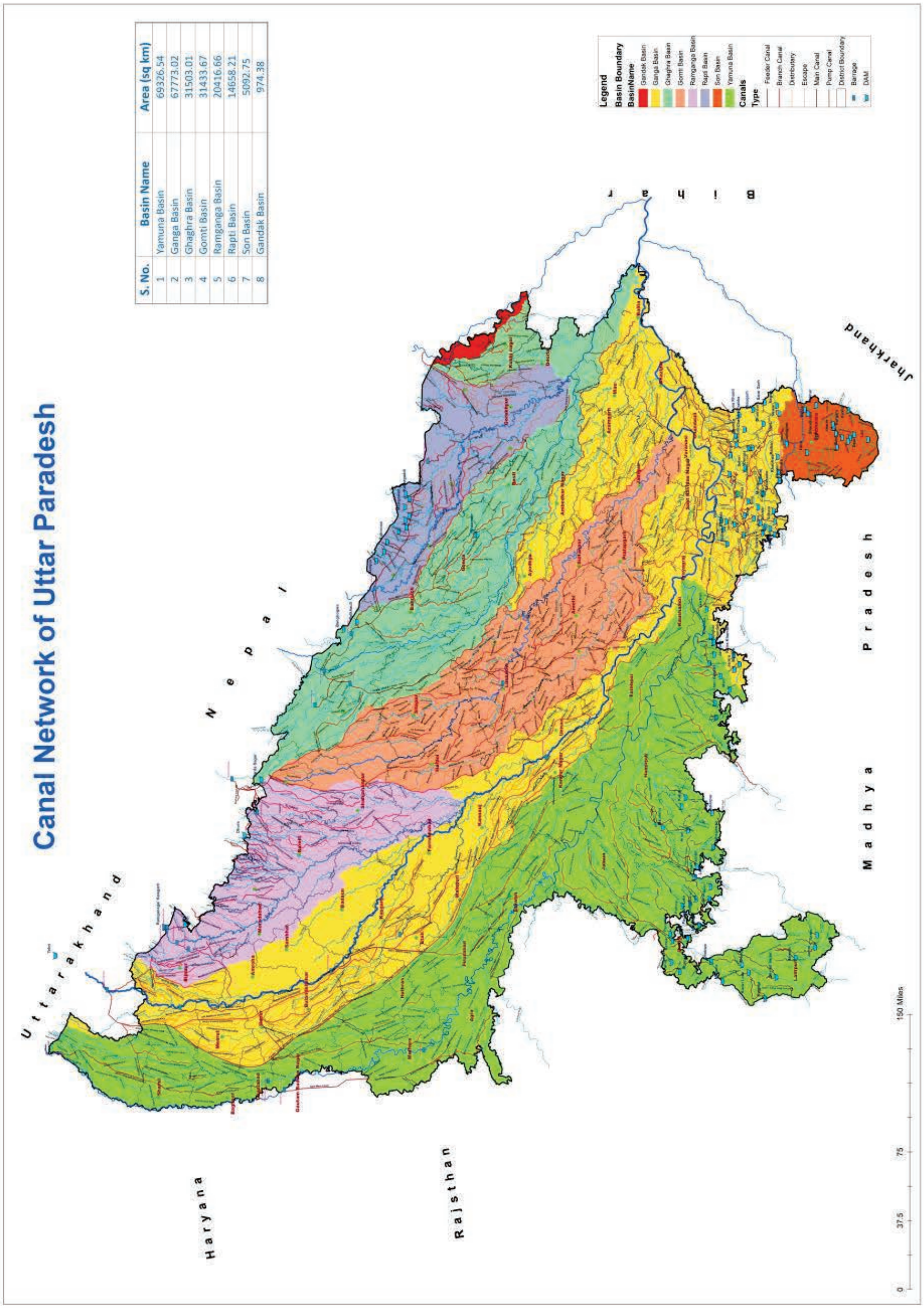

सूखा की स्थति से निटने हेतु क्या करें और क्या न करें

सूखा मानीटरिंग सेन्टर एवं सूखा मानीटरिंग कमेटी का गठन

शासनादेश संख्या–57/1–11–2018–6(जी0)/2017 दिनांक 19 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 57 /1–11–2018–6(जी)/2017
लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के सूखा प्रबन्धन मैनुअल–2016 में किये गये प्राविधानों के आलोक में सूखा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों पर अध्ययन और शोध कर राज्य सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राज्य सूखा निगरानी केन्द्र (State Drought Monitoring Centre) की स्थापना करते हुए उसके कार्यों के सम्पादन हेतु निम्न विवरण के अनुसार सूखा मानीटरिंग कमेटी का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है:–

क0सं0	नाम	पद
1.	राहत आयुक्त, उ0प्र0	अध्यक्ष
2.	परियोजना निदेशक (सा0प्र0 एवं एच0आर0डी0), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य (सचिव)
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा नामित सदस्य (अपर निदेशक से अन्यून)	सदस्य
4.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालय से नामित कृषि विशेषज्ञ	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
6.	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	सदस्य
7.	निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, उ0प्र0	सदस्य
8.	निदेशक, रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, उ0प्र0	सदस्य
9.	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, उ0प्र0	सदस्य

राज्य स्तर पर सूखे के अनुश्रवण हेतु गठित उक्त सूखा मानीटरिंग सेन्टर (डी0एम0सी0), पिकप भवन स्थित उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के कार्यालय में स्थापित होगा जहाँ से वह अपने कार्यों का सम्पादन करेगा।

3– सूखा मैनुअल 2016 के Annexure 2 के अनुसार सूखे के अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित सूखा मानीटरिंग सेन्टर एवं उसके संचालन हेतु गठित समिति द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कियाकलापो का सम्पादन किया जायेगा:–

9 UO-R-11-r2018

1. सूखा मानीटरिंग सेन्टर (डी0एम0सी0) द्वारा एक डेटाबेस का निर्माण किया जायेगा जिसके माध्यम से सूखे से सम्बन्धित विभिन्न सूचकांको यथा–वर्षा, भूमि उपयोग, कृषिजन्य दशाये, भू–गर्भ जल, सतही जल स्तर तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं यथा–प्रवास एवं आपात स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री आदि डाटा का सग्रंहण एवं विश्लेषण किया जायेगा।
2. डी0एम0सी0 द्वारा सूखे के संबंध में आवधिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में वर्षण की स्थिति, कृषि संव्यवहारों, फसल दशा, चारा, जलाश्य स्तर एवं पेय जल से सम्बन्धित रिपोर्ट सम्मिलित होगी।
3. डी0एम0सी0 द्वारा ज्ञान आधारित लोक नीति के निर्माण हेतु अन्तर आनुशासनिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जायेगा।
4. डी0एम0सी0 द्वारा राज्य में टेलीमेटरिक रेनगेज एवं मौसम स्टेशन नेटवर्क का स्थापना की जायेगी, जिसकी सहायता से मौसम एवं वर्षण के डाटाबेसों के सुधार सम्भव हो सकेगा।
5. डी0एम0सी0 द्वारा नेशनल रिमोट सेसिंग सेन्टर (हैदराबाद) के समन्वय से सेटेलाइट की सहायता से सूखे का अनुश्रवण एवं स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (अहमदाबाद) फसलों के आंकलन आदि कियाकलापों का सम्पादन किया जायेगा।
6. सूखे से हुयी क्षति के आंकलन तथा जल एवं मृदा के प्रबन्धन आदि के आधार पर डी0एम0सी0 सूखे की घोषणा के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या /1–11–2018–6(जी)/2017 दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि, सिंचाई, पशुपालन, नियोजन, लोक निर्माण, ऊर्जा, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उद्यान, पंचायतीराज, भू–गर्भ जल, लघु सिंचाई एवं चिकित्सा, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त (अध्यक्ष), उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, अग्निशमन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, रिमोट सेसिंग (सदस्य), उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग (सदस्य), उ0प्र0
10. निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग (सदस्य), उ0प्र0
11. मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय जल आयोग (सदस्य), उ0प्र0

10 UO-R-11-r2018

12. परियोजना निदेशक (सा0प्र0 एवं एच0आर0डी0) (सदस्य सचिव), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ।
13. परियोजना निदेशक (सूखा), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ।
14. परियोजना प्रबन्धक, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 सचिवालय।
15. राजस्व अनुभाग–10 / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

क्षमता विकास कार्यक्रम, 2022—23

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश के बुंदेलखण्ड व बिंध्य क्षेत्र के जनपद एवं आगरा, मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर देहात, फतेहपुर, काशाम्बी, मथुरा तथा प्रयागराज के राजस्व, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं आपदा विषेषज्ञों का दो दिवसीय **"मैनेजमेन्ट ऑफ 'ड्राट एण्ड हीटवेव"** विषय पर तीन सत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 122 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh State Disaster Management Authority
Picup Bhawan, Pickup Bldg. Rd., Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010. Tel.: 0522-2306882
E-mail: upsdma@gmail.com